नेशनल हैण्डलूम एक्सपो, 2011

जयपुर (राजस्थान)

हाथकरघा बुनकर कार्यशाला
5 फरवरी, 2011

प्रस्तुति

हाथकरघा प्रकोष्ठ

कार्यालय आयुक्त, उद्योग
उद्योग भवन, जयपुर

प्रायोजक :
कार्यालय विकास आयुक्त
हाथकरघा वस्त्र मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली

आयोजक :
कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग राजस्थान एवं
उद्यम प्रोत्साहन संस्थान
जयपुर

अनुक्रमणिका

1.	एकीकृत हाथकरघा विकास योजना	4—39
2.	विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना	10—62
3.	विविधिकृत हाथकरघा विकास योजना के दिशा निर्देश	63—64
4.	स्वास्थ्य बीमा योजना	65—82
5.	यार्न बैंक योजना	82
6.	उत्पाद विविधीकरण योजनाअन्तर्गत अध्ययन दल	83
7.	महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना	83
8.	बुनकर पुरस्कार योजना	84
9.	हैण्डलूम मार्क योजना	85—87
10.	हाथकरघा वस्त्रों के विपणन प्रोत्साहन हेतु मेले व हाट बाजार	88
11.	बुनकर सेवा केन्द्र	89
12.	रंगाई के लिए सूत तैयार करना	89—97
13.	रंगों के प्रकार	97—98
14.	रंगों में उपयोग होने वाले रसायन	99
15.	प्रमुख हैण्डलूम एक्सपोटर्स की सूची	100
16.	हैण्डलूम से संबधित प्रमुख विभागों की सूची	101
17	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी में कुशल हस्तशिल्पियों हेतु स्थान/स्टॉल शुल्क रियायत योजना	102—103
18.	हस्तशिल्पियों को ब्याज अनुदान योजना	104—106
19.	राजस्थान दस्तकार प्रोत्साहन संस्थान	107
20.	राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ	108
21.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम	109
22.	अधिकारियों की सूची	110
23.	महाप्रबंधकों की सूची	111
24.	हथकरघा (उत्पादनार्थ वस्तु आरक्षण) अधिनियम,1985 का कार्यान्वयन	112

<u>एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस)</u>

1. <u>भूमिका</u>

हथकरघा क्षेत्र भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है जो लगभग 65 लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है । यह क्षेत्र हाथ से बुनाई की काफी पुरानी भारतीय परंपरा को बनाए रखने को दर्शाता है और बुनकर समुदायों की समाजिक सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाता है । भारत सरकार अनेक नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से हथकरघा क्षेत्र का संवर्धन करने और प्रोत्साहित करने की नीति अपनाती रही है । 9वीं और 10वीं योजनावधि में भारत सरकार की अधिकांश योजना संबंधी हस्तक्षेप हथकरघा क्षेत्र में राज्य एजेसियों और सहकारी समितियों के माध्यम से रही हैं । तथापि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में वस्त्र उद्योग में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मकता और एमएफए पश्चात वातावरण में उभरते हुए मुक्त व्यापार के अवसरों को देखते हुए, वैश्विककृत वातावरण की चुनौतियों को सामना करने के लिए हथकरघा बुनकरों को सुविधा प्रदान करने के वास्ते इस क्षेत्र में एक संकेन्द्रित परंतु लचीले व सुव्यवस्थित नीति को अपनाने की बढ़ती हुई आवश्यकता महसूस की गई है । उभरते हुए बाजार प्रवृतियों के अनुरूप विकास व विविधीकरण के लिए एक सतत मार्ग का रूपरेखा तैयार करने के लिए बुनकरों को सशक्त करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है । एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) अभिज्ञात हथकरघा समूहों में अथवा उससे बाहर स्थित हथकरघा बुनकरों के सतत विकास को सुविधा प्रदान कर एक सामंजस्यपूर्ण, स्वनिर्भर और प्रतिस्पर्धी सामाजिक आर्थिक इकाई में परिणत करने का एक प्रयास है ।

2. एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस)- केंद्रीय रूप से प्रायोजित एक योजना स्कीम

11वीं योजना के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली एकीकृत हथकरघा विकास योजना (आईएचडीएस) को चार योजनाओं अर्थात दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (डीबीएचपीवाई), एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आईएचटीपी), एकीकृत हथकरघा सामूहिक विकास योजना (आईएचसीडीएस) और कार्यशाला सह आवास योजना में संशोधन सहित अथवा उसके बिना आवश्यक संघटकों को मिलाकर केंद्रीय रूप प्रायोजित योजना स्कीम के रूप में बनाया गया है ।

3. योजना के संघटक

इस योजना के निम्नलिखित चार संघटक हैं-

क्र.सं.	आईएचडीएस के संघटक	वित्तीय सहायता के लिए पात्र आईएचडीएस के उपसंघटक
क.	प्रति समूह 300-500 की श्रेणी में हथकरघा वाले समूह	1. बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण (एसएचजी). 2. कन्सोर्टियम का निर्माण 3. यार्न भंडारों की स्थापना के लिए कॉरपस निधि 4. डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण 5. साझा सुविधा केंद्र/डाई हाऊस 6 प्रचार एवं विपणन 6. परियोजना प्रबंधन लागत 7. बेसिक इनपुट्स 8. कौशल उन्नयन 9. कार्यशाला का निर्माण
ख.	समान भौगोलिक क्षेत्रों में समूह से बाहर परियोजना रूप में कार्यान्वित किए जाने के लिए सामूहिक नीति	क. बेसिक इनपुट्स ख. कार्यशाला का निर्माण ग. कौशल उन्नयन
ग.	हथकरघा संगठनों के लिए सहायता	1. विपणन प्रोत्साहन 2. हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण
घ.	अन्य	1. अभिनव विचार 2. प्रचार, मानिटरिंग, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

4. इस योजना का उद्देश्य

- चयनित हथकरघा समूहों ने एक दृष्टिगत उत्पादन समूह के रूप में हथकरघा बुनकर समूहों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना ।
- आत्मनिर्भर बनने के लिए हथकरघा बनुकर समूहों सहायता देना ।
- सहकारी समिति के भीतर और बाहर दोनों में बुनकरों को शामिल करने के लिए एक समाविष्ट नीति ।
- बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत गुणवत्ता वाले विविधीकृत उत्पादों का उत्पादन करने के लिए हथकरघा बुनकरों/समूहों के कौशलों का उन्नयन करना ।
- बुनकरों को उन्हें उन्नत उत्पादकता वाले उत्कृष्ट उत्पादों का उत्पादन करने के लिए सक्षम बनाने के वास्ते उपयुक्त कार्यस्थल प्रदान करना ।
- विपणन, डिजाइनिंग और उत्पादन का प्रबंधन करने के लिए उद्यमियों, डिजाइनरों और पेशेवरों को शामिल कर बाजार उन्मुखीकरण ।
- वित्तीय संस्थाओं/बैकों से ऋण की प्रक्रिया को आसान बनाना ।
- बुनकरों के सहकारीकरण को प्रोत्साहित करना ।
- प्रत्येक समूह को आवश्यकता आधारित इनपुट्स प्रदान करने के लिए सुव्यवस्थित और लचीले हस्तक्षेप ।

भाग - क

(क) सामूहिक विकास कार्यक्रम (300-500 की श्रेणी में हथकरघा वाले हथकरघा समूह के लिए सहायता)

सामूहिक विकास नीति एक दृष्टिगत संस्था के रूप में बुनकर समूहों के निर्माण पर केंद्रित है ताकि ये समूह आत्मनिर्भर बन सकें । 625 समूहों जिसमें प्रत्येक समूह में लगभग 300-500 हथकरघा कवर होता है, को 11वीं योजनावधि के दौरान शुरू किया जाएगा । इसमें वे 100 समूह भी शामिल होंगे जिनके लिए निदान संबंधी अध्ययन वर्ष 2006-07 के दौरान पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2007-08 के बजट में इन समूहों की घोषणा की गई है ।

(क.1) समूह की परिभाषा

हथकरघा समूह की परिभाषा एक ऐसे जगह के रूप में की जा सकती है जहां हथकरघा फैब्रिक्स का उत्पादन करने वाले हथकरघा का बहुत बडा सकेंद्रण है जो बाजार की मांगों की अनुरूप होगा । ये हथकरघें को एक प्रशासनिक जिला के भीतर अथवा दो जिलों में (अधिकतर सटे हुए) दो समीवर्ती राजस्व उपमंडलों/गांवों के निकट में अवस्थित हो सकते हैं । अपेक्षाकृत लघु और भारी राज्यों में जहां गांव/उपमंडल छोटे आकार के हैं, वहां गांवों/उपमंडलों की संख्या बढायी जा सकती है ताकि समूह का न्यूनतम महत्वपूर्ण आकार सुनिश्चित किया जा सके । देश भर में अनेक समूहों में, हथकरघों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है लेकिन योजना के उद्देश्य से, समूह का आकार 300-500 की श्रेणी में हथकरघा वाले समूह के हिस्से तक सीमित किया जाएगा ।

(क.2) बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और सामूहिक विकास कार्यपालक (सीडीई)

(क.2.1) बेसलाइन सर्वेक्षण

बेसलाइन सर्वेक्षण में समूह के प्रोफाइल तैयार करने के लिए अर्थात सक्रिय हथकरघों की संख्या, हथकरघों का प्रकार, बुनकरों की संख्या (पुरूष/महिलाएं-सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यक/इत्यादि), प्रयोग किए गए यार्न का प्रकार, उत्पादन श्रृंखला, औसत बुनकर आय आदि के लिए समूह के प्रत्येक बुनकर (300-500 करघे) का दौरा अपेक्षित होगा । बेसलाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन करने के लिए संगठन का प्रोफाइल के लिए एक प्रोफार्मा **अनुबंध-क-1** मे दिया गया है । बेसलाइन सर्वेक्षण और समूह में अलग-अलग बुनकरों को अपेक्षित सहायता के ब्यौरे के लिए एक प्रोफार्मा **अनुबंध-क-2** में दिया गया है ।

(क.2.2) निदान संबंधी अध्ययन

समूहों का निदान कार्यान्वयन योग्य कार्य योजना करने के प्रति पहला कदम है । यह शक्तियों और कमजोरियों, उस वातावरण की पहचान करने में सहायता करेगा जिसमें समूह कार्य करता है और प्रभावी उत्पादन के लिए कौन-कौन से नीतिगत कदम उठाये जाने की आवश्यकता है । यह निदान नीतिगत दिशा और संभावित उत्पादन प्रदान करेगा जो ये समूह एक समयावधि में प्राप्त करना चाहते हैं । वास्तविक कार्य बिन्दु आपसी विश्वास बनाने और समूह में कार्य वाले व्यक्तियों द्वारा उसकी पुष्टि से सामने आएगा । निदान का उद्देश्य (क) वर्तमान परिदृश्य जिसके तहत हथकरघा समूह में कार्य रहे हैं, को समझना और उसका विश्लेषण करना है अर्थात कार्यकलाप विश्लेषण, उत्पादन क्रियाकलाप की प्रकृति, उत्पादों की प्रोफाइलिंग, उत्पादन का पैटर्न और इसके लिए मौजूदा बाजार संभावना (ख) समूहों की शक्ति, कमजोरी, अवसर और चुनौतियों का विश्लेषण (ग) अंतरों और बाधाओं की पहचान करने के लिए मूल्यश्रृंखला विश्लेषण (घ) हथकरघा उत्पादकों की सेवा करने वाले स्थानीय संगठन का सामाजिक/संस्थागत विश्लेषण (ड.) सामाजिक आर्थिक वातावरण को समझना जिसमें समूह कार्य करता है (च) समूह और बाजार की संभावना का सही उपयोग करने के लिए अपेक्षित कार्य योजना के मामले में सिफारिशें आदि । की गई निदान संबंधी अध्ययन और कार्य योजना का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा **अनुबंध-क-3** में दिया गया है ।

(क.2.3) सामूहिक विकास कार्यपालक (सीडीई)

प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी अन्नय रूप से सामूहिक विकास कार्यपालक (सीडीई) की पहचान और पदस्थापित करेगा जो समूह में स्थित होगा और दिए गए समूह में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा । सीडीई की जिम्मेदारियों में निदान संबंधी अध्ययन करना, परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, सामूहिक कार्य योजना के अनुसार समय सीमा में इस परियोजना के कार्यान्वयन, बुनकरों के स्वयं सहायता समूहों का निर्माण और इन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से जोड़ना, स्थानीय शासन ढ़ाचा बनाना, समूहों के बुनकरों को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि., लखनऊ के साथ अपेक्षित मात्रा में उत्कृष्ट यार्न, रंजक रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के वास्ते जोड़ना आदि शामिल होगा । सामूहिक विकास की प्रक्रिया में समूह स्तर के स्टेक होल्डरों को शामिल करने, सीडीई की क्रियाकलापों में सहायता देने और मानिटरिंग करने के उद्देश्य से संबंधित राज्य स्तरीय हथकरघा सहायक निदेशक अथवा राज्य हथकरघा व वस्त्र निदेशक द्वारा नामित किसी अन्य अधिकारी (जो हथकरघा का कार्य देख रहे हों), की अध्यक्षता में एक सामूहिक विकास समन्वय समह (सीडीसीजी) समूह स्तर पर बनाया जाएगा जिसने बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों, प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों, हथकरघा उपक्रमों, निर्यात इकाइयों और सहायता सेवा संस्थाओं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), बैंकों, राज्य सरकार के एजेंसियों के प्रतिनिधि होंगे ।

(क.3) समूह विकास के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते पात्र मदें

प्रत्येक समूह की अधिकतम परियोजना लागत 3 वर्षों की परियोजना अवधि के लिए 60.00 लाख रू. होगी

(A.3.1) सामूहिक विकास :बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण

चयनित समहों के लिए सामूहिक विकास नीति अपनायी जाएगी जिसमें एक अभिज्ञात कार्यान्वयन एजेंसी समूह का बेसलाइन सर्वेक्षण व निदान संबंधी अध्ययन करेगी और विभिन्न स्टेक होल्डरों के परामर्श से एक व्यापक सामूहिक विकास योजना बनाएगी । कार्यान्वयन एजेंसी समूह में स्वयं सहायता समूहों को बनाएगी और उसे ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक के साथ जोड़ेगी । बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान सबंधी अध्ययन, स्वयं सहायता समूहों के निर्माण और उनके प्रशिक्षण के लिए एकमुश्त सहायता प्रति समूह 1,25,000 रू. होगी । ऐसे मामलों में जहां राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान सबंधी अध्ययन, स्वयं सहायता समूहों के निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और कोई वित्तीय सहायता उस प्रयोजन से नहीं दी जाएगी ।

(क.3.2) कन्सोर्टियम का निर्माण

कन्सोर्टियम में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सहकारी समितियों, सिद्धहस्त बुनकरों, निजी उद्यमियों,गैर सरकारी संगठनों आदि से स्टेक हॉल्डर शामिल होंगे जिन्हें बुनकरों के साथ बातचीत करने की आवश्यकता होगी और संबंधित संगठनों जैसे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं, विपणन संस्थाओं/विपणन विशेषज्ञों, विपणन कर्त्ताओं, कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी मशीनरियों, बुनकरों आदि के साथ संपर्क स्थापित करना होगा । प्रति समूह 50,000/ रू. की एकमुश्त सहायता बैठकों के आयोजन, स्टेशनरी की खरीद, क्षेत्र के दौरे, व्यापार एवं जागरूकता प्रशिक्षण, कन्सोर्टियम को शामिल करने के लिए कानूनी विशेषज्ञों को बहाल करने और व्यापार के विकास के लिए अन्य पेशेवरों को कार्य पर रखने के लिए व्यय को पूरा करने के वास्ते इस संघटक के तहत दिया जाएगा । यह 100% केंद्रीय अनुदान के रूप में एक समूह को एक बार दिया जाएगा । अंततोगत्वा कन्सोर्टियम तीसरे वर्ष में अथवा उसके बाद समूह के क्रियाकलापों को अपने हाथ में लेगा और उसके बाद स्वयं सतत आधार पर इसे चलाएगा ।

(क.3.3) यार्न भंडारों की स्थापना के लिए कॉरपस निधि

वर्तमान में बुनकर/एजेंसी को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) को यार्न की खरीद के लिए अग्रिम राशि का भुगतान करना होता है और यार्न की डिलिवरी एनएचडीसी द्वारा लगभग 3-4 सप्ताहों की समय सीमा में किया जाता है । इससे उत्पादन की प्रक्रिया में विलंब होता है । इसप्रकार एक माह में 300-500 करघों के लिए अपेक्षित काउंट के यार्न की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, 3.00 लाख रू. की एक मुश्त सहायता एनएचडीसी को कॉरपस निधि के रूप में प्रदान की जाएगी जो इसे समूह में यार्न भंडार के माध्यम से बुनकरों को यार्न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बना सके । यार्न की आपूर्ति यार्न भंडारों द्वारा बुनकरों को भुगतान की तुलना में की जाएगी।

(क.3.4) डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण

कंप्यूटर साहायित वस्त्र डिजाइन (सीएटीडी) प्रणाली की खरीद, रंगपूर्वानुमान, प्रवृत्ति पूर्वानुमान और अन्य संबद्ध आवश्यकताओं के लिए 3.00 लाख रू. की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी जिसका बंटवारा समान रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार/लाभार्थी/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा । 6.00 लाख रू. की सहायता 3 वर्षों की अवधि के लिए एक सुयोग्य डिजाइनर की नियुक्ति के लिए दी जाएगी । डिजाइनर की नियुक्ति के लिए संपूर्ण सहायता का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(क.3.5) साझा सुविधा केंद्र/डाई हाऊस

एकमुश्त सहायता साझा सुविधा केंद्र की स्थापना के लिए उपलब्ध होगा जिसमें जल आशोधन संयंत्र, बहिस्राव आशोधन संयंत्र, करधा पूर्व और करघा पश्चात क्रियाकलाप, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, प्रदर्शन हॉल/समिति कक्ष/साझा कार्यगृह शामिल होगा । तथापि, आवश्यकता पड़ने पर सीएफसी के भाग के रूप में डाई हाउस सार्वजनिक निजी भागीदारी रूप में विकसित किया जाएगा जो इस शर्त के अध्यधीन होगा कि इसका 20% लागत राज्य/उद्यमी/एजेंसी/कर्न्सोटियम द्वारा वहन किया जाएगा और शेष 80% राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में दी जाएगी । मौजूदा रंजनगृह के उन्नयन के लिए सहायता पर भी विचार किया जा सकता है, यदि यह समझा गया कि नए रंजनगृह के निर्माण की आवश्यकता नहीं है ।

साझा सुविधा केंद्र/डाई हाउस की स्थापना के लिए, एक परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और उसका अनुमोदन उसकी व्यवहार्यता और पड़ोस के क्षेत्र में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं पर विचार करने के बाद विकास आयुक्त, हथकरघा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाएगा । साझा सुविधा केंद्र/डाई हाउसों की स्थापना के लिए कुल सहायता अधिकतम 30.00 लाख रू. होगी । डाई हाउस की स्थापना आवश्यकतानुसार केवल बडे समूहों में की जाएगी ।

(क.3.6) प्रचार एवं विपणन

भारत और विदेश में हथकरघा को प्रदर्शित करने और उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रचार और बाजार विकास के लिए पात्र संगठनों को दिया जाएगा । इसमें विज्ञापन, पुस्तिकाओं की छपाई, कैटलॉग्स, बाजार अनुसंधान, बाजार सर्वेक्षण, क्रेता-विक्रेता बैठक, अन्य समूहों में अनुभव के लिए दौरे, जागरूकता कार्यक्रमों आदि के लिए व्यय शामिल होगा । इन उद्देश्यों से सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा । ब्यौरा निम्नलिखितुनसार है:

i) विज्ञापन, पुस्तिकाओं की छपाई, कैटलॉग्स के लिए 3 वर्षों की अवधि में 50,000/- रू. की सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
ii) 3 प्रदर्शनियों/मेलाओं के आयोजन/उसमें भाग लेने के लिए 3 वर्षों की अवधि में 6.00 लाख रू. की सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
iii) 6 क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन/उसमें भाग लेने के लिए तीन वर्षों की अवधि में 3.00 लाख रू. की सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
iv) बाजार प्रवृत्तियों की सूचना प्राप्त करने के लिए बाजार सवेक्षण/बाजार आसूचना के लिए 1.00 लाख रू. की एकमुश्त सहायता केंद्र सरकार और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थियों के बीच 75:25 के अनुपात में बांटा जाएगा ।
v) बुनकरों के अन्य समूहों में जागरूकता और अनुभव दौरे के लिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त प्रदान किए जाने के लिए प्रति समूह 3 वर्षों की अवधि में 3.00 लाख रू. तक की सहायता प्रति बुनकर को 3000 रू. की दर से दी जाएगी ।
vi) 0.25 लाख रू. की एकमुश्त सहायता केंद्र सरकार द्वारा समूह के बेवसाइट को विकसित करने और उसे प्रदर्शित करने के लिए दिया जाएगा ।

प्रचार और विपणन के लिए अधिकतम सहायता कुल परियोजना लागत का 20% से अधिक नहीं होगा ।

(क.3.7) परियोजना प्रबंधन लागत

3 वर्षों तक प्रति समूह 2.40 लाख प्रति वर्ष तक वित्तीय सहायता कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना प्रबंधन लागत पूरा करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यदि राज्य सरकार अथवा इसकी संबद्ध कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी है तब प्रति समूह प्रति वर्ष केवल 25000 रू. परियोजना प्रबंधन लागत के रूप में दिया जाएगा ।

300-500 हथकरघा वाले समूहों के लिए वित्तीय सहायता का बंटवारा और संघटकों का सार

क्र. सं.	संघटक	प्रति समूह वित्तीय सहायता	बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी
1.	*बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण	1.25 लाख रू. एक मुश्त	100% भारत सरकार
2.	कन्सोर्टियम का निर्माण	50,000 रू. एक मुश्त	100% भारत सरकार
3.	यार्न भंडारों के लिए कॉरपस निधि	3.00 लाख रू. एक मुश्त	100% भारत सरकार
4.	डिजाइन विकास एवं उत्पाद विविधीकरण	कंप्यूटर साहायित वस्त्र डिजाइन केंद्र (सीएटीडी) की खरीद, रंग पूर्वानुमान, प्रवृति पूर्वानुमान के लिए 3.00 लाख रू. एक मुश्त	50 : 50
		6.00 लाख रू. 3 वर्षों तक **डिजाइनर की नियुक्ति के लिए	100% भारत सरकार
5.	साझा सुविधा केंद्र/डाई हाऊस (कुल परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक)	30.00 लाख रू. एक मुश्त	सीएफसी - 100% भारत सरकार, डाइ हाउस - 80 : 20 भारत सरकार : राज्य/आईए/कंसोर्टिया द्वारा
6.	प्रचार एवं विपणन (कुल परियोजना लागत का अधिकतम 20% तक)	50,000 रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए विज्ञापन, पुस्तिका, कैटलॉग के लिए	75 : 25
		6.00 लाख रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए तीन मेलों/प्रदर्शनियों के लिए	75 : 25
		3.00 लाख रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए छः क्रेता-विक्रेता बैठकों के लिए	75 : 25
		1.00 लाख रू. बाजार सर्वेक्षण/आसूचना के लिए - एक मुश्त	75 : 25
		3.00 लाख रू. 3 वर्षों की अवधि के लिए 3000 रू. प्रति बुनकर की दर से जागरूकता एवं अनुभव दौरे के लिए	100% भारत सरकार
		25,000 रू. बेवसाइट बनाने और उसे प्रदर्शित करने के लिए - एक मुश्त	100% भारत सरकार
7.	*** परियोजना प्रबंधन लागत	2.40 लाख रू. प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों की अवधि के लिए 7.20 लाख रू.	100% भारत सरकार

टिप्पणी:

(i) * ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसी है, बेसलाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और स्वयं सहायता समूहों का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और उस प्रयोजन से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी ।

(ii) ** समूह में नियुक्त किए जाने वाले वस्त्र डिजाइनर को कम से कम तीन वर्षों का अनुभव हो । उसे निफ्ट/एनआइडी से स्नातक होना चाहिए । यदि अन्य संस्थानों के डिजाइनरों की नियुक्ति की जानी है तब उसकी नियुक्ति विकास आयुक्त (हथकरघा) की पूर्वानुमति से की जाए और उसका/उसकी बायोडाटा प्रस्ताव

के साथ इस कार्यालय को भेजी जाए । जहां तक संभव हो डिजाइनर समूह के आसपास का अथवा उसी राज्य का हो ।

(iii) *** ऐसे मामले में जहां राज्य सरकार अथवा इसकी संबद्ध कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसी है, प्रति वर्ष प्रति समूह केवल 25,000 रू. परियोजना प्रबंधन लागत के रूप में दी जाएगी ।

(क.3.8) समूह में अलग-अलग बुनकरों के लिए सहायता

बेसिक इनपुट्सऔर कार्यशालाओं के निर्माण के लिए अलग-अलग बुनकरो को सहायता भी उस समूह में दिया जाएगा जिनमें 300-500 करघे हैं । तथापि, इन संघटकों को मिलाकर सहायता प्रति समूह 60 लाख रू. की समूह की अधिकतम देय परियोजना लागत का 25% तक होगा । ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(क.3.8.1) बेसिक इनपुट्स

क) कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन धन

मार्जिन धन के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 6,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

ख) नए करघे

नए करघे की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 4,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

ग) डॉबी

डॉबी की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 4,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

घ) जेकॉर्ड

जेकॉर्ड की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 6,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

ड. एक्सेसरीज

एक्सेसरीज की खरीद के लिए सहायता स्वयं सहायता समूहों और समितियों में संगठित बुनकरों को प्रति बुनकर 2,000.00 रू. की दर से दी जाएगी । 70% सहायता केंद्र सरकार द्वारा, 20% राज्य सरकार द्वारा और शेष 10% कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा बांटा जाएगा ।

<u>टिप्पणी :</u> **पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यो, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, छतीसगढ और झारखंड के लिए बेसिक इनपुट् संघटकों के वास्ते बंटवारा का पैटर्न केंद्र सरकार द्वारा 90%, राज्य सरकार द्वारा 5% और कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी द्वारा 5% होगा ।**

प्रस्तावों की सिफारिश बुनकरों की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के बाद ही किया जाएगा । एक समूह में बेशी इनपुट्स की आवश्यकता दर्शाते हुए एक प्रपत्र **अनुबंध- क-2** में दिया गया है ।

(क3.8.2) **कार्यशाला का निर्माण**

कार्याशालाओं के निर्माण के लिए सहायता निम्नलिखितानुसार दी जाएगी:

संघटक	प्रति इकाई क्षेत्र	सहायता की राशि
कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग मी.	25,000/- रू.

जबकि केंद्रीय सहायता उपर्युक्त स्तर तक सीमित होगी, फिर भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थी अपने निजी अंशदान अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से अतिरिक्त लागत यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होंगे ।

इस संघटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बुनकरों को वरीयता दी जाएगी । भवनों के निर्माण के लिए, बुनकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं जबकि कार्यशाला के लिए सहायता उनके द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त की जा सकती है । बीपीएल के अलावा बुनकरों पर विचार बीपीएल के तहत आने वाले बुनकरों को यथासंभव शामिल किए जाने बाद ही किया जाएगा । 25000 रू. की संपूर्ण सहायता बुनकरों के बीपीएल के तहत आने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा जबकि उन बुनकरों जो बीपीएल के तहत नहीं आ रहे हैं को केंद्र सरकार द्वारा 75% की सीमा तक अर्थात 18,750 रू. की सहायता दी जाएगी और शेष राशि का वहन राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा किया जाएगा । इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि जमीन का हक बुनकर के नाम से है, प्रस्तुत किया जाना होगा ।

(क.3.8.3) **कौशल उन्नयन**

प्रशिक्षण और पुन: प्रशिक्षण हथकरघा बुनकरों/कामगारों के लिए उन्हें बदलती हुई बाजार प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए उन्नत गुणवत्ता वाले विविधीकृत उत्पादों का उत्पादन करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स है । यह योजना हथकरघा क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों/कामगारों को तकनीकी और प्रबंधकीय कौशलों के उन्नयन से संबंधित मसलों को सुव्यस्थित दृष्टिकोण देती है । 20 प्रशिक्षुओं के प्रति बैच को सहायता दर्शाए गए निम्नलिखित विषयों और कार्यक्रमों में उनमें से प्रत्येक के लिए 100% केंद्रीय अनुदान होगी :

(क) बुनाई - प्रति बैच 3,00,000/- रू. की दर से
(ख) डाइंग - प्रति बैच 1,00,000/- रू. की दर से
(ग) डिजाइन - प्रति बैच 50,000/- रू. की दर से
(घ) एसएचजी/प्राथमिक बुनकर सहाकारी समिति/कंसोर्टियम आदि के प्रबंधकीय स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए प्रबंधकीय कार्यशाला - प्रति बैच 25,000/- रू. की दर से (50 प्रशिक्षु) ।

कौशल उन्नयन के लिए दिशा निर्देश परिशिष्ट में दिए गए हैं । कौशल उन्नयन के लिए अधिकतम सहायता कुल परियोजना लागत का 15% से अधिक नहीं होगा । समूह में बुनकरों/कामगारों का कौशल उन्नयन कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।

300-500 हथकरघा वाले समूहों के लिए वित्तीय सहायता का बंटवारा और संघटकों का सार

क्र. सं.	संघटक	प्रति समूह वित्तीय सहायता	बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी
(क)	बेसिक इनपुट्स	मार्जिन धन के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	70 : 20 : 10
		नए करघे के लिए 8,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		डॉबी के लिए 4,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		जेकॉर्ड के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		एक्सेसरीज के लिए 2,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
(ख)	कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग मी. वाले कार्यशाला के निर्माण के लिए, 25,000/- रू. तक वित्तीय सहायता भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों के लिए दी जाएगी और अन्य बुनकरों के मामले में भारत सरकार का केवल 25,000/- रू. का 75% अर्थात 18,750/- रू. देगी ।	शेष राशि राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा
(ग)	कौशल उन्नयन (कुल परियोजना लागत का अधिकतम 15%)	20 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रावधान निम्नलिखित होगाः बुनाई के लिए 3.00 लाख रू., डाइंग के लिए 1.00 लाख रू., डिजाइनिंग के लिए 0.50 लाख रू.,, 50 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण के वास्ते 0.25 लाख रू.- एक मुश्त	100 % भारत सरकार

टिप्पणी:

क्रम सं. (क) और (ख) में दिए गए संघटकों के लिए सहायता संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को रिलीज किया जाएगा ।

(क.4) सहायता की मात्रा

सहायता की राशि आवश्यकता आधारित होनी चाहिए जो समूह की आवश्यकता, समूह विकास परियोजना में परिकल्पित क्रियाकलापों के विस्तार, समूह संगठन की तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय क्षमता, परिपक्वता का स्तर और समूह का विगत निष्पादन आदि पर निर्भर करेगी । प्रत्येक समूह के लिए अधिकतम देय परियोजना लागत 3 वर्षों की परियोजना अवधि (अलग-अलग बुनकरों को सहायता सहित) के लिए प्रति समूमह 60.00 लाख रू. से अधिक नहीं होगा और इसमें केंद्रीय, राज्य और कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी का हिस्सा शामिल होगा ।

(क.5) राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी)

राज्य स्तरीयय परियोजना समिति (एसएलपीसी) की अध्यक्षता हथकरघा व वस्त्र के राज्य आयुक्त/निदेशक करेंगे जिसमें हथकरघा क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन, हथकरघा संगठन (शीर्ष बुनकर सहकारी समिति अथवा राज्य हथकरघा निगम), प्रमुख निर्यातक, प्रभारी अधिकारी, संबंधित बुनकर सेवा केंद्र और एसएसजी के समूह के बुनकर के प्रतिनिधि शामिल होंगे । एसएलपीसी परियोजना प्रस्तावों की छानबीन करने, कार्य योजना की वैधता की जांच करने, मानिटरिंग, मूल्यांकन आदि के लिए जिम्मेदार होगें और कार्यान्वयन एजेंसी की सिफारिश भी करेंगें ।

(क.6) कार्यान्वयन एजेंसी

राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश, कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात राज्य सरकार के कार्यालय जैसे हथकरघा निदेशालय एवं संबद्ध कार्यालय, राज्य हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समितियों, गैर-सरकारी संगठनों (राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिश और हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमोदित) से प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। कार्यान्वयन एजेंसियां (आईए) हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक एवं राज्य सरकार के संबद्ध कार्यालय, राज्य हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समितियों, संगठनों, राज्य सरकारों द्वारा की गई सिफारिश और हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा अनुमोदित गैर-सरकारी संगठनों, राष्ट्र स्तरीय हथकरघा संगठनों और केंद्र सरकार के संगठन हैं। एनजीओ की ग्रेडिंग का एक प्रपत्र **अनुबंध -क-4** में दिया गया है । कुल 100 में से कम से कम 60 अंक प्राप्त करने वाले गैर-सरकारी संगठनों पर ही विचार किया जाएगा । कार्यान्वयन एजेंसियों को कर्तव्य निम्नलिखित हैं-

- (i) समूह विकास कार्यकारी अधिकारी (सीडीई) की पहचान करना,
- (ii) सीडीई के प्रशिक्षण के वास्ते राज्य सरकार/राज्य स्तरीय परियोजना समिति के साथ बातचीत करना,
- (iii) बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन करना,
- (iv) सीडीई द्वारा की गई निदान संबंधी अध्ययन के आधार पर एक परियोजना तैयार करना जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वार्षिक कार्य योजना का उल्लेख हो और साथ-साथ समूह की आवश्यकता, क्रियाकलाप और प्रत्याशित उत्पादन, परिणाम/सुपुदर्गी योग्य उत्पाद का स्पष्ट उल्लेख हो और इस प्रस्ताव को अनुमोदन के वास्ते एसएलपीसी के समक्ष प्रस्तुत करना।
- (v) ऊपर उल्लिखित परियोजना को समय सीमा के भीतर कार्यान्वित करना ।
- (vi) समय-समय पर वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना और राज्य सरकार को इसकी पूर्णता रिपोर्ट भी देना ।

(क.7) समूह विकास परियोजना की अवधि

समूह परियोजना की पूर्णता के लिए समय सीमा 3 वर्ष है ।

(क.8) प्रस्तावों की प्रस्तुति और वित्तीय सहायता की रिलीज

(क.8.1) बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन के लिए प्रारंभिक प्रस्ताव

प्रत्येक समूह का विकास परियोजना रूप में केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के तौर पर राज्य सरकारों अथवा इसके कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से शुरू किया जाएगा । राज्य सरकार एक समूह का बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन (जिसका उल्लेख पैरा क.2.2 में किया गया है) करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों (पैरा क.6 देखें) से प्रस्ताव आमंत्रित करेगी जिसकी छानबीन और सिफारिश एसएलपीसी द्वारा विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को की जाएगी । विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय अभिज्ञात हथकरघा समूहों के बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन करने के लिए 50% राशि स्वीकृत करेगा । शेष 50% बेस लाइन सर्वेक्षण व निदान संबंधी अध्ययन रिपोर्ट और कार्य योजना (इसके पश्चात, परियोजना रिपोर्ट के रूप में इसका उल्लेख किया जाएगा) जिसकी विधिवत सिफारिश एसएलपीसी द्वारा की गई हो, बेस लाइन सर्वेक्षण व निदान संबंधी अध्ययन के लिए जारी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), लेखा परीक्षित लेखाओं आदि के प्रस्तुत करने के बाद राज्य सरकार द्वारा आईए को जारी किया जाएगा । परियोजना प्रस्तावों जहां समूह का बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन आईए द्वारा पहले ही कर लिया गया है, भी इस योजना के तहत शामिल होंगे ।

(क.8.2) समूह विकास, की परियोजना रिपोर्ट, कार्य योजना की प्रस्तुति और सहायता की रिलीज

निर्धारित प्रपत्र (**अनुबंध - क-3**) में परियोजना रिपोर्ट में बेस लाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन रिपोर्ट और प्रथम वर्ष के लिए एक पुरस्कार योजना और दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए अस्थायी कार्ययोजना होगी । परियोजना रिपोर्ट पर विचार, छानबीन, सत्यापन आदि के लिए संबंधित राज्य आयुक्त/हथकरघा निदेशक की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय परियोजना समिति (एसएलपीसी) द्वारा की जाएगी । केवल उन्हीं प्रस्तावों की सिफारिश एसएलपीसी द्वारा की जाएगी जो समूह में बुनकरों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए व्यवहार्य एवं लाभकारी पायी जाएगी । राज्य सरकार इस प्रकार के परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन के वास्ते हथकरघा विकास आयुक्त को भेजेगी।

हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा ऐसे प्रस्तावों की उचित छानबीन व अनुमोदन के बाद, वित्तीय सहायता समूह विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को 3 किश्तों में जारी की जाएगी अर्थात पहली किश्त के रूप में 30%, दूसरी किश्त के रूप में 40% और शेष तीसरी किश्त के रूप में । केंद्रीय सहायता की रिलीज आईए को राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना में यथा उल्लिखित उपयोगिता प्रमाण पत्रों, लेखा परीक्षित लेखाओं, कार्य योजना के अनुसार वास्तवित प्रगति आदि के प्रस्तुत किए जाने के आधार पर की जाएगी । आईए संबंधित सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) के अनुसार रिकार्डों को रखेगा । राज्य सरकार कंपोजित परियोजना रिपोर्ट भेज सकती है जिसमें बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन और समूह विकास कार्य योजना शामिल होगा । ऐसे मामलों में बेस लाइन सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन की कुल लागत तथा प्रस्तावित कार्य योजना का 30% लागत प्रथम किश्त के रूप में हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा रिलीज की जा सकती है ।

<u>भाग-ख</u>

(ख) हथकरघा के विकास के लिए सामूहिक नीति

हथकरघा बुनकर जो समूहों द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं, को सामूहिक दृष्टिकोण से लाभ होगा जिसका कार्यान्वयन समान भौगोलिक क्षेत्र अर्थात राजस्व ग्राम, ग्रामीण क्षेत्र में ब्लाक और शहरी क्षेत्रों मे वार्ड जिनमें समान उत्पादन विशेषताएं हैं, में हथकरघा के विकास के लिए परियोजना रूप में कार्यान्वित किया जाएगा । एक समूह में 10 बुनकर अथवा उससे अधिक होने चाहिए जो एसएसजी/प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति/अन्य स्वतंत्र/अलग-अलग बुनकर के रूप में हो सकते हैं । संबंधित राज्य सरकार के हथकरघा निदेशक बुनकरों का बेस लाइन सर्वेक्षण करवाएंगे जिसमें बुनकरों को सहायता की आवश्यकता और इस प्रकार की सहायता से होने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभ उल्लेख होगा । इस सर्वेक्षण के आधार पर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसके आधार पर इन समूहों को वित्तीय सहायता की सिफारिश एसएलपीसी द्वारा की जाएगी । हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा इसकी उचित छानबीन के बाद व्यवहार्य संघटकों के लिए सहायता जारी की जाएगी । ऐसे बुनकर समूह को सहायता निम्नलिखित संघटक के लिए प्रदान की जाएगी :

<u>बेसिक इनपुट्स:</u> नए करघे, डाबी, जेकार्ड और एक्सेसरीज जैसे बेसिक इनपुट्स के लिए सहायता अलग-अलग बुनकरों को दी जाएगी । मार्जिन धन के लिए सहायता उन हथकरघा बुनकरों को दी जाएगी जिन्होंने स्वयं के बल पर अथवा प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, स्वयं सहायता समहों अथवा सिद्धहस्त बुनकरों के माध्यम से बैंकों के ऋण संपर्क स्थापित किया है ।

1. प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति के हथकरघा बुनकरों/कामगारों/कंसोर्टिया/स्वयं सहायता समहों/सिद्धहस्त बुनकरों के लिए **<u>बुनाई, डाइंग, डिजाइनिंग एवं प्रबंधकीय विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>** का आयोजन संबंधित बुनकर सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा । कौशल उन्नयन के दिशा निर्देश परिशिष्ट के रूप में हैं । इस संघटक के लिए वित्तीय सहायता सीधे संबंधित बुनकर सेवा केंद्र को जारी की जाएगी ।
2. **<u>कार्यशालाओं का निर्माण</u>** उन बुनकरों को दी जाएगी जिनके पास करघा रखने के लिए अपना निजी कार्यस्थल नहीं है और जो सिद्धहस्त बुनकर/समिति के करघो पर अन्य स्थान पर कार्य कर रहे हैं । इस संघटक के लिए सहायता राज्य में हथकरघा एवं वस्त्र निदेशालय द्वारा प्रायोजित एसएसजी/सहकारी समिति व अलग-अलग बुनकरों के समूह में कम से कम 10 बुनकरों के समूह को दी जाएगी। कार्यशालाओं के निर्माण के लिए सहायता निम्नलिखितानुसार दी जाएगी :

संघटक	प्रति इकाई क्षेत्र	सहायता की राशि
कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग. मी.	25,000/-रू.

जबकि केंद्रीय सहायता उपर्युक्त स्तर तक सीमित होगी, फिर भी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र/कार्यान्वयन एजेंसियों/लाभार्थी अपने निजी अंशदान अथवा वित्तीय संस्थाओं से ऋण के माध्यम से अतिरिक्त लागत यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होंगे । इस संघटक के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के बुनकरों को वरीयता दी जाएगी । भवनों के निर्माण के लिए, बुनकर ग्रामीण विकास मंत्रालय की इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं जबकि कार्यशाला के लिए सहायता उनके द्वारा इस योजना के तहत प्राप्त की जा सकती है । बीपीएल के अलावा बुनकरों पर विचार बीपीएल के तहत आने वाले बुनकरों को यथासंभव शामिल किए जाने बाद ही किया जाएगा। 25000 रू. की संपूर्ण सहायता बुनकरों के बीपीएल के तहत आने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा जबकि उन बुनकरों जो बीपीएल के तहत नहीं आ रहे हैं को केंद्र सरकार द्वारा 75% की सीमा तक अर्थात 18,750 रू. की सहायता दी जाएगी और शेष राशि का वहन राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा किया जाएगा ।

3. चयनित समूहों को यार्न, रंजक रसायनों की आपूर्ति के लिए **बैकवार्ड लिंकेज** राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा प्रदान की जाएगी ।
4. हथकरघा समूहों से उत्पादों के विपणन के लिए **फारवार्ड लिंकेज** विभिन्न विपणन कार्यक्रमों जैसे राज्य स्तरीय कार्यक्रमों, हाटों, राष्ट्रयी एक्सपो, विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना के तहत विशेष एक्सपो और शिल्प मेलों के तहत दिया जाएगा ।
5. **डिजाइन इनपुट्स** बुनकर सेवा केंद्रों द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

(ख.1) विभिन्न संघटकों की मात्रा और हिस्सा निम्नलिखित होगी:

क्र. सं.	**संघटक**	**प्रति बुनकर वित्तीय सहायता**	**बंटवारा भारत सरकार : राज्य : आईए / लाभानुभोगी**
1.	बेसिक इनपुट्स	मार्जिन धन के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	70 : 20 : 10
		नए करघे के लिए 8,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		डॉबी के लिए 4,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		जेकॉर्ड के लिए 6,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
		एक्सेसरीज के लिए 2,000/- रू. - एक मुश्त	-वही-
2.	कौशल उन्नयन	20 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रावधान निम्नलिखित होगा: बुनाई के लिए 3.00 लाख रू., डाइंग के लिए 1.00 लाख रू., डिजाइनिंग के लिए 0.50 लाख रू.,, 50 प्रशिक्षुओं के बैच के लिए प्रबंधकीय प्रशिक्षण के वास्ते 0.25 लाख रू.- एक मुश्त	100 % भारत सरकार
3.	+ कार्यशाला का निर्माण	20 वर्ग मी. वाले कार्यशाला के निर्माण के लिए, 25,000/- रू. तक वित्तीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे के बुनकरों के लिए दी जाएगी और अन्य बुनकरों के मामले में केवल 25,000/- रू. का 75% अर्थात 18,750/- रू. देगी ।	शेष राशि राज्य सरकार/लाभार्थी द्वारा वहन किया जाएगा

+ इस आशय एक प्रमाण पत्र कि जमीन का हक बुनकर के नाम है प्रस्तुत किया जाना होगा ।

टिप्पणी:

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा कि सभी जरूरतमंद बुनकरों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किसी न किसी प्रकार की सहायता मिले ।

(ii) उपर्युक्त क्रम सं.1 और 3 में दिए गए संघटकों के लिए सहायता संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) को दिया जाएगा जबकि उपर्युक्त क्र. स. 2 पर दिए गए संघटक के लिए सहायता सीधे संबंधित बुनकर सेवा केंद्र को रिलीज की जाएगी ।

(iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यो, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, छतीसगढ और झारखंड के लिए बेसिक इनपुट् संघटकों के वास्ते बंटवारा का पैटर्न केंद्र सरकार द्वारा 90%, राज्य सरकार द्वारा 5% और लाभार्थी संगठन द्वारा 5% होगा ।

(ख.2) सामूहिक दृष्टिकोण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी

संबंधित राज्य सरकार के हथकरघा सहायक निदेशक **अनुबंध-ख-1** के अनुसार समूह का बेस लाइन सर्वेक्षण करवाएगी । इस सर्वेक्षण के आधार पर इन समूहों में बुनकरों के लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता का उल्लेख करते हुए एक संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट उनके द्वारा **अनुबंध ख-2(1), ख-2(2) और ख-2(3)** के साथ-साथ प्रपत्र **ख-1 और ख-2** में बनाया जाएगा । इन्हें जांच और उसे हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय को सिफारिश करने के लिए एसएलपीसी के समक्ष रखा जाएगा ।

(ख.3) सामूहिक परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन और निधियों की रिलीज

भारत सरकार का 75% हिस्सा परियोजना के अनुमोदन के बाद राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को अग्रिम के रूप में रिलीज किया जाएगा और शेष 25% तब जारी किया जाएगा जब जारी की गई केंद्रीय हिस्सा के साथ-साथ राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी का समान हिस्सा जहां लागू हो, का पूरा उपयोग कर लिया गया है, जारी की गई केंद्रीय हिस्सा के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षित लेखाओं, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट आदि प्रस्तुत कर दिया गया हो । संबंधित हथकरघा सहायक निदेशक हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, नई दिल्ली को राज्य सरकार के माध्यम से परियोजना के पूरा होने के बाद प्रगति व मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । तथापि, कौशल उन्नयन के लिए वजीफा, पारितोषिक, अन्य प्रशासनिक एवं विविध खर्चें का भुगतान और प्रबंधकीय प्रशिक्षण के लिए सहायता 100% अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी जबकि यार्न, करघो, करघा सेटिंग शुल्कों, वार्पिंग ड्रम, एक्सेसरीज की खदीद, नमूनो/डिजाइनों का प्रलेखन, शेडो को भाड़े पर लेने, बिजली एवं पानी शुल्कों, टूल किस्ट्स की खरीद के लिए सहायता 75% अग्रिम के रूप में जारी की जाएगी और शेष 25% उपयोगिता प्रमाण पत्र, इम्पैक्ट रिपोर्ट के प्रस्तुत किये जाने बाद रिलीज की जाएगी ।

टिप्पणी : सामूहिक दृष्टिकोण के लिए प्रस्ताव अर्थात समूह से बाहर को प्रस्ताव की सिफारिश करने वाली एसएलपीसी बैठक के कार्यवृत की एक प्रति के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुबंध ख-2(1), ख-2(2) और ख-2(3) के साथ-साथ अनुबंध ख-1 और ख-2 में दिए गए प्रपत्र में हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

भाग -ग

(ग) हथकरघा संगठनों को वित्तीय सहायता

(ग.1) विपणन प्रोत्साहन (एमआई)

विपणन प्रोत्साहन हथकरघा एजेंसियों को उन स्थितियों को बनाने के लिए दी जाती है जो हथकरघा उत्पादों के विपणन के लिए अनुकूल है । यह अधिकांशत: हथकरघा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में मूल्य के लिए प्रोत्साहन होगा ताकि एक ओर वह मूल्य की कीमत आंशिक रूप से कम करने में सक्षम हो और दूसरी ओर वे अवसंरचना में निवेश कर सके ताकि उत्पादन और उत्पाकदता में सुधार लाया जा सके । यह एजेंसी इस राशि को उन क्रियाकलापों के लिए उपयोग करने की आशा करती है जो हथकरघा समानों की समग्र बिक्री में तेजी लाने के लिए उपभोक्ताओं को आकर्षित करे । विपणन प्रोत्साहन के लिए सहायता राज्य हथकरघा निगमों, शीर्ष सहकारी समितियों, प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों और राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों के लिए पात्र होगा । दी जाने वाली सहायता की राशि निम्नलिखितानुसार है:

संघटक	वित्तीय सहायता(लाख रू.) प्रति बुनकर	हिस्सा भारत सरकार: राज्य सरकार
विपणन प्रोत्साहन- हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समिति, प्राथमिक बुनकर सहकारी समिति, राष्ट्रीय हथकरघा संगठन	पिछले 3 वर्षों में औसत बिक्री कारोबार का10%	50:50, राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों/समितियों को छोड़कर जहां संपूर्ण सहायता भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है ।

विपणन प्रोत्साहन के दावे **अनुबंध-ग -1** में दिए गए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य सरकार को पात्र हथकरघा संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य सरकार **अनुबंध-ग** में दिए गए अनुसार अपेक्षित प्रमाण पत्र के साथ समेकित विवरण के साथ-साथ इस कार्यालय को अलग-अलग दावे भेजेगा। विपणन प्रोत्साहन (एमआई) के लिए राज्य हथकरघा संगठनों को सहायता संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसी को रिलीज की जाएगी जबकि राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठनों को सहायता सीधे रिलीज की जाएगी ।

टिप्पणी:

(i) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों द्वारा शीर्ष बुनकर सहकारी समितियों/संघों/निगमों को बिक्री प्राथमिक समितियों की वार्षिक बिक्री कारोबार की विपणन प्रोत्साहन के लिए उनके पात्र सहायता का लेखा-जोखा करने के लिए परिकलन करते समय अलग रखी जाएगी। अन्य शब्दों में, प्राथमिक समितियों द्वारा शीर्ष समितियों/संघों को की गई बिक्री विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी क्योंकि शीर्ष समिति/संघ अलग से प्राथमिक समितियों से खरीदारी के बाद अपनी बिक्री पर विपणन प्रोत्साहन के लिए सहायता का दावा करेंगें ।

(ii) किसी हथकरघा एजेंसी द्वारा सरकारी विभागों/एजेंसियों को बिक्री को विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र सहायता का लेखा-जोखा रखने के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार का परिकलन करते समय अलग रखा जाएगा ।

(iii) एक हथकरघा एजेंसी द्वारा दूसरे हथकरघा एजेंसी को बिक्री अथवा विलोमतः विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र सहायता का लेखा-जोखा रखने के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार का परिकलन करते समय अलग रखा जाएगा ।

(iv) हथकरघा एजेंसी द्वारा आदान-प्रदान प्रणाली के तहत की गई बिक्री विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्र सहायता का लेखा-जोखा रखने के लिए वार्षिक बिक्री कारोबार का परिकलन करते समय अलग रखा जाएगा ।

(v) इस आशय का एक प्रमाण पत्र की उपर्युक्त बिन्दुओं अर्थात क्र.सं. 1 से 4 को विपणन प्रोत्साहन के लिए पात्रता का परिकलन करते समय ध्यान में रखा गया है और यह भी कि विपणन प्रोत्साहन का दावा करने के प्रयोजन से परिकलित बिक्री हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय के किसी अन्य योजना के तहत सहायता का दावा करने के लिए परिकलित नहीं की गई है, राज्य सरकार से अपेक्षित होगी ।

(vi) राज्य सरकार से यह भी प्रमाणित करने के लिए अपेक्षित होगा कि वर्ष के लिए किए गए दावे जिसके लिए अनुदान विचाराधीन है, पूर्ण और अंतिम है और यह कि उस वर्ष के लिए राज्य के किसी अन्य संगठन के मामले में कोई और दावे भविष्य में नहीं किए जाएंगें ।

(घ) हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण

इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हथकरघा संगठनों का उन्हें उनकी ऋण सीमा/कार्यशील पूंजी बढ़ाकर अर्थक्षम बनाने के उद्देश्य से वित्तीय पुनर्गठन के लिए सहायता शामिल होगी ।

संघटक	वित्तीय सहायता(लाख रू.) प्रति बुनकर	हिस्सा भारत सरकारः राज्य सरकार
* **हथकरघा संगठनों का सुदृढीकरण** - हथकरघा निगम, शीर्ष सहकारी समिति, राष्ट्रीय हथकरघा संगठन	प्रस्ताव के अनुसार	50:50

* <u>टिप्पणी:</u> उपर्युक्त संघटक के लिए सहायता केवल राष्ट्रीय और राज्य स्तर के हथकरघा समहों के लिए लागू होगा और समूह के लिए लागू नहीं होगा । हथकरघा संगठनों के सुदृढीकरण के लिए राज्य हथकरघा संगठनों को सहायता संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन एजेंसी को रिलीज की जाएगी।

इस संघटक के लिए सहायता का लाभ लेने के वास्ते संगठनों को सबसे पहले अपनी व्यापार नीतियों को सुदृढ बनाकर और अपने कार्मिकों को युक्तिसंगत बनाकर अपनी व्यवहार्यता में सुधार लाना होगा । भरोसे योग्य परियोजना के रूप में सर्वांगीण सुधार नीति की मंजूरी संबंधित बैंक/वित्तीय संस्था और राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा की जानी होगी । परियोजना विकास आयुक्त हथक्रघा के कार्यालय द्वारा अनुमोदित किसी स्वतंत्र प्रबंधन परामर्श संगठन द्वारा तैयार की जाएगी । संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थान सिद्धांत में इस परियोजना का अनुमोदन करेंगे जिसमें उस संगठन के सर्वांगीण सुधार के लिए अपेक्षित निधियों का उल्लेख होगा जिससे इस संगठन को गैर-सहकारी क्षेत्र के प्राथमिक समितियों और बुनकरों के विपणन क्रियाकलापों में सहायता करने में मदद मिलेगी ।

इसमें से प्रत्येक परियोजना आवश्यकता आधारित होगी जो संगठन की आवश्यकता पर निर्भर करेगी । इस परियोजना में निश्चित रूप से कार्मिकों की आवश्यकता और प्रशासनिक ढांचे का आकार छोटा करने पर ध्यान दिया जाएगा । किसी भी रूप में कोई सहायता संगठन की स्थापना लागत, वाहनों की खरीद अथवा किसी भवन, ढ़ांचा आदि को पूरा करने के लिए नहीं प्रदान किया जाएगा । राज्य सरकार द्वारा मंजूर पुनरूद्धार प्रस्तावों को सचिव (वस्त्र), भारत सरकार की अध्यक्षता वाली एक समिति के समक्ष रखा जाएगा । इस समिति में विकास आयुक्त (हथकरघा), वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, संबंधित राज्य सरकार और एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे । ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता इस प्रकार के पुनर्गठन के लिए अपेक्षित सीड मनी के लिए केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के आधार पर दी जाएगी ।

भाग - घ

(घ) अभिनव विचारों व प्रचार, मानिटरिंग, पयर्वेक्षण, प्रशिक्षण और योजना के मूल्यांकन के लिए सहायता

(घ.1) अभिनव विचार

इस योजना के लिए आबंटित निधियों को 10% उपयोग अभिनव विचारों के लिए किया जाएगा जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान उभरेगें और उन्हें अनुमोदन के समय इस योजना में शामिल नहीं किया गया हो।

(घ.2) प्रचार, मानिटरिंग, पयर्वेक्षण, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन

(i) इस योजना के लिए आबंटित बजट का 2% प्रचार, मानिटरिंग, पर्यवेक्षण, हथकरघा विकास आयुक्त और राज्य हथकरघा निदेशालय के तहत कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण, योजना के मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जा सकता है ।

(ii) विकास आयुक्त (हथकरघा) इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन का मानिटर स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों की सहायता से, यदि आवश्यकता हो, करेंगें । समय-समय पर रिपोटिंग, क्षेत्र के दौरे और समीक्षा बैठकों की एक पद्धति का उपयोग इस प्रयोजन से किया जाएगा ।

(iii) संबंधित राज्य सरकार कार्यान्वयन/लाभार्थी एजेंसियों को राज्य सरकार के माध्यम से स्वीकृत कार्यक्रम की समग्र मूल्यांकन और मानिटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे ।

(iv) राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आईएचडीएस योजना के तहत और इस कार्यालय की अन्य योजनाओं के तहत भी बाद की रिलीज जारी किए जाने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र और लेखा परीक्षित लेखा प्रस्तुत हो ।

(v) राज्य सरकार परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट, मूल्यांकन रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे जिसमें बुनकरों को मिलने वाले इसके परिणाम और सामाजिक-आर्थिक लाभ का विस्तार से उल्लेख हो ।

***

भाग–क
समूहिक नीति

अनुबंध –क–1

निदान संबंधी अध्ययन एवं आधारभूत सर्वेक्षण के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के चयन तथा चयनित हाथकरघा क्लस्टरों का प्रोफाईल

क. संगठन/कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) का प्रोफाइल :

1	संगठन का नाम (पूरा पता सहित)	
2	पंजीकरण सं. तथा पंजीकरण की तारीख	
3	पदाधिकारियों का नाम तथा पदनाम, फोन नं. फैक्स नं तथा ई–मेल आदि सहित	
4	संगठनों में नियममित कर्मचारियों की कुल संख्या	
5	पिछले तीन वर्ष के लिए तुलना पत्र तथा लाभ/हानि लेखा (संलग्न)	
6.	वस्त्र/हथकरघा क्षेत्र में अनुभव, यदि कोई हो	
7	संगठन की उपनियम /संकल्प	
8	क्लस्टर विकास में पिछला अनुभव	
9	ग्रेडिंग हेतु पद्वति के अनुसार आई ए (एनजीओ) के अंक	

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा आधारभूत सर्वेक्षण और निदान संबंधी अध्ययन हेतु दिनांक .... को कार्यान्वयन एजेंसी की सिफारिश की गई है। बैठक का कार्यवृत संलग्न है।
2. इस बात का विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये संगठन भ्रष्टाचार में संलिप्त है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी अस्तित्व में है और यह कार्य कर रही है।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही है।
6. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा विगत में जारी की गई सहायता के संवितरण के संबंध में उपर्युक्त एजेंसी के बारे में कोई शिकायत (शिकायतें) प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष /सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम)

प्रतिहस्ताक्षरित

हथकरघा प्रभारी निदेशक

क्लस्टर नीति

क्लस्टर के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र..

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
पंजीकरण सं.
गांव एवं डाकखाना
जिला
राज्य
आईएचडीएस में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की सं.
अपेक्षित कुल सहायता.

क्र.सं.	बुनकर का नाम	पुरुष	महिला	आयु	निम्नलिखित में शामिल						क्या बुनकर है		क्या करघा है	
					सहकार समितियां	स्व.स.समूह	गै.स.सं.	मास्टर बुनकर	स्वतंत्र	अन्य	करघा सहित	करघा रहित	सक्रिय	बेकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

परिवार की आय	धर्म	जाति	एक वर्ष में कार्यरत दिनों की सं.	करघे के प्रकार	करघों की संख्या	प्रयुक्त यार्न का प्रकार	विनिर्मित उत्पाद	अभ्युक्ति यदि कोई हो
15	16	17	18	19	20	21	22	23

अपेक्षित सहायता का ब्यौरा

मूलभूत निविष्टि संबंधी संघटक					कार्यशाला			कुशलता उन्नयन			
नए करघों की सं.	जैकार्ड की सं.	डॉबी की सं.	सहायक सामग्री	मार्जिन धन	क्या कार्यशाला मौजूद है (हां/नहीं)	क्या बीपीएल/ सामान्य है	क्या कार्यशाला की आवश्यकता है	बुनाई	डाइंग	डिजाइनिंग	प्रबंधकीय
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक का हस्ताक्षर

<u>अनुबंध-क-3</u>

<u>क्लस्टर नीति</u>

<u>क्लस्टर विकास हेतु की गई निदान संबंधी अध्ययन की रिपोर्ट तथा कार्य योजना के लिए प्रपत्र</u>

<table>
<tr><td>क्र.सं.</td><td>मापदंड</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क्लस्टर/वार्ड/गांव का नाम</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">क्लस्टर का प्रोफाइल</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>क्लस्टर की भौगोलिक स्थिति (कलस्टर का मैप संलग्न करें)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>कलस्टर में हथकरघों की कुल संख्या</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>कलस्टर में हथकरघों का प्रकार</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>उपलब्ध अवसंरचना</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>बुनकरों की वर्तमान कुशलता</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">7.</td><td rowspan="8">हथकरघा बुनकरों की सं.</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>श्रेणी</td><td>पुरूष</td><td>महिलाएं</td><td>कुल</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जनजाति</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>अपिव</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>अल्पसंख्यक</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>सामान्य</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="10">8.</td><td>बुनकरों की स्थिति</td><td colspan="3">विद्यमानता</td><td>शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित</td></tr>
<tr><td>क) प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>ख) सहकारी समितियों में बुनकरों की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>ग) मास्टर बुनकरों की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>घ) मास्टर बुनकरों के साथ बुनकरों की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>ङ) हथकरघों में कार्यरत एनजीओ की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>च) एनजीओ के साथ बुनकरों की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>छ) हथकरघों में कार्यरत एसएचजी की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>ज) एसएचजी के साथ बुनकरों की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>झ) व्यापारियों की सं.</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">9.</td><td>पॉकेट का कारोबार
(करोड़ रू. में)</td><td colspan="3">वर्तमान कारोबार</td><td>प्रत्याशित कारोबार</td></tr>
<tr><td>क) घरेलू</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>ख) निर्यात</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td>योग</td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>

10.	बुनकर की प्रतिदिन औसत आय (रू. में)	वर्तमान	प्रत्याशित
11.	एक वर्ष में औसत कार्य दिवसों की सं.	वर्तमान	प्रत्याशित
12.	पाकेट के मुख्य हथकरघा उत्पाद	वर्तमान	प्रत्याशित
13.	पाकेट में विद्युत करघों की सं.		
14.	क्या पाकेट के हथकरघे विद्युतकरघों से प्रतिस्पर्धा करते हैं?		
5 वर्ष पूर्व पाकेट की स्थिति			
15.	अब से पांच वर्ष पूर्व की स्थिति के संबंध में पाकेट की आर्थिक स्थिति		
स्वॉट स्थिति			
16.	क) क्षमता		
	ख) कमजोरी		
	ग) अवसर		
	घ) खतरे		
क्लस्टर की सिफारिश करने का औचित्य			
17.	विकास हेतु क्लस्टर की सिफारिश करने का औचित्य		
कार्यनीति			
18	क) क्लस्टर		
	ख) विकास कार्यनीति का उद्देश्य		
कार्य योजना			
19.	प्रत्येक हस्तक्षेप के लिए वित्तीय परिव्यय के साथ 3 वर्ष की अवधि के दौरान विकास के लिए अपेक्षित हस्तक्षेप (पैरा क 8.2)		

20. कुल परियोजना लागत

क्र. सं.	संघटक का नाम	राशि (लाख रू.में)		शामिल किए जाने वाले वाले बुनकरों की सं.	
		भारत सरकार	राज्य सरकार/ आईए	कुल	
1.	**क्लस्टर विकास:** बेस लाइन सर्वेक्षण, निदान संबंधी अध्ययन और एसएचजी का गठन				
2.	कंसर्टियम का गठन				
3.	कुशलता उन्नयन/कार्यक्रम				
4.	डिजाइन विकास: सीएटीडी की खरीद				
	डिजाइनर नियुक्त करना				
5.	सामान्य सुविधा केन्द्र/डाइ हाउस				
6.	प्रचार एवं विपणन				
	(क) प्रचार, पुस्तिका				
	(ख) प्रदर्शनी/मेला				
	(ग) क्रेता-विक्रेता बैठक				
	(घ) बाजार सवेक्षण				
	(ड.) जागरूकता व अनुभव दौरे				
	(च) बेवसाइट बनाना और उसे प्रदर्शित करना				
7.	परियोजना प्रबंधन लागत				
8.	मूलभूत निविष्टियां				
(1)	मार्जिन धन				
(2)	नए करघे				
(3)	जेकार्ड				

		(4)	डाबी				
		(5)	एक्सेसरीज				
		9.	कार्यशाला का निर्माण				
21.	क्लस्टर के लिए प्रस्तावित कार्य योजना	संक्षिप्त परियोजना रिपोर्ट के साथ 3 वर्ष के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को रेखांकित करते हुए वर्ष-वार कार्य योजना संलग्न किया जाए । कार्य योजना में चयनित समूह के उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार और हथकरघा बुनकरों की आय में वृद्धि के मामले में परियोजना के डलीवरेवल्स का उल्लेख हो ।					

1. लाभानुभोगी ने राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत इसी प्रकार की सहायता का लाभ नहीं उटाया है ।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।
3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं बेचा जाएगा ।
4. इस बात का विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि ये संगठन भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही हैं और इनका सत्यापन गारंटी एजेंसी के लेखा बुक से की जा सकती है ।
7. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और राज्य द्वारा विगत में जारी की गई सहायता के संवितरण के संबंध में उपर्युक्त एजेंसी के बारे में कोई शिकायत (शिकायतें) प्राप्त नहीं हुई हैं ।
8. प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) ने ऋण संपर्क, जहां कहीं अपेक्षित है, हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है ।
9. प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी ने अन्य बातों के साथ-साथ अलग-अलग बुनकरों के नामों, अपेक्षित संघटकों और उसके लिए अपेक्षित सहायता आदि का उल्लेख करते हुए प्रपत्र क-2 (क्लस्टर का आधारभूत सर्वेक्षण) प्रपत्र में अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और ये ब्यौरे रिकार्डो से सत्यापनीय हैं ।
10. राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा दिनांक ___________को प्रस्ताव की सिफारिश की गई है । बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है ।
11. प्रमाणित किया जाता है कि जमीन का हक बुनकर के नाम से है ।

(हस्ताक्षर)

संगठन का अध्यक्ष/सचिव

प्रति हस्ताक्षरित

(हस्ताक्षर)

हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक

अनुबंध- क-4

क्लस्टर नीति

गैर-सरकारी संगठनों की ग्रेडिंग हेतु अंक पद्धति

संगठन का नाम पूरा पता सहित :				
क्र.सं.	**अंक संबंधी मापदंड**	**अधिकतम अंक**	**प्राप्त अंक**	**टिप्पणियां**
1.	औपचारिक पंजीकरण	-		
2.	एनजीओ 3 (तीन) वर्ष से अधिक समय से विद्यमान है	-		
3.	किसी अन्य सरकारी संगठन/विभाग में पंजीकरण	3		
4.	अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकारी का प्रोफाइल और फील्ड कर्मचारियों का अनुभव एवं योग्यता	10		
5.	आधारभूत सर्वेक्षण, सामुदायिक संघटन तथा मानीटरिंग एवं मूल्यांकन पद्धति का अनुभव	10		
6.	हथकरघा अथवा किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में क्लस्टर विकास का अनुभव	15		
7.	विपणन, नेटवर्किंग का अनुभव	13		
8.	तकनीकी एवं प्रौद्योगिकीय मार्गदर्शन का अनुभव	5		
9.	हथकरघा क्षेत्र/ग्रामीण विकास में उपलबिधयां	20		
10.	पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित लेखा और आयकर विवरणियों को नियमित रूप से दायर करना तथा पैन प्राप्त करना	5		
11.	सरकार द्वारा वित्तपोषण	2		
12.	प्रत्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुभव	5		
13.	बोर्ड/स्टाफ में महिलाओं/अ.जा./अ.ज.जा./अल्पसंख्यकों की भागीदारी	7		
14.	कर्मचारियों का प्रशिक्षण	5		
	योग	100		
	दिए गए कुल अंक			
	योग्य/अयोग्य			

हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक के हस्ताक्षर

टिप्पणी : आवश्यक दस्तावेज उपर्युक्त मांनदडों के समर्थन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए अन्यथा इसे कोई अंक नहीं दिया जाएगा ।

अनुबंध-ख-1

सामूहिक नीति

समूह के आधारभूत सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र..

कार्यान्वयन एजेंसी का नाम
पंजीकरण सं.
गांव एवं डाकखाना
जिला
राज्य
आईएचडीएस में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की सं.
अपेक्षित कुल सहायता.

क्र.सं.	बुनकर का नाम	पुरुष	महिला	आयु	निम्नलिखित में शामिल						क्या बुनकर है		क्या करघा है	
					सहकार समितियां	स्व.स.समूह	गै.स.सं.	मास्टर बुनकर	स्वतंत्र	अन्य	करघा सहित	करघा रहित	सक्रिय	बेकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

परिवार की आय	धर्म	जाति	एक वर्ष में कार्यरत दिनों की सं.	करघे के प्रकार	करघों की संख्या	प्रयुक्त यार्न का प्रकार	विनिर्मित उत्पाद	अभ्युक्ति यदि कोई हो
15	16	17	18	19	20	21	22	23

अपेक्षित सहायता का ब्यौरा

मूलभूत निविष्टि संबंधी संघटक					कार्यशाला			कुशलता उन्नयन			
नए करघों की सं.	जैकार्ड की सं.	डॉबी की सं.	सहायक सामग्री	मार्जिन धन	क्या कार्यशाला मौजूद है (हां/नहीं)	क्या बीपीएल/ सामान्य है	क्या कार्यशाला की आवश्यकता है	बुनाई	डाइंग	डिजाइनिंग	प्रबंधकीय
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक का हस्ताक्षर

<u>अनुबंध-ख-2</u>

सामूहिक नीति

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत सामूहिक नीति हेतु परियोजना प्रस्ताव

परियोजना सारांश
1. संगठन का पूरा नाम व पता :
2. गांव/वार्ड का नाम:
3. गांव/वार्ड में बुनकरों की कुल सं. सं.
(क) सहकारी समितियों में
(ख) हथकरघा शीर्षस्थ निकायों/निगम में
(ग) एचएसजी में
(घ) एनजीओ में
(ङ) मास्टर बुनकरों में
(च) निर्यातकों में
(छ) स्वतंत्र
4. करघा रहित बुनकरों की कुल सं.
5. करघा सहित बुनकरों की कुल सं. (क) सक्रिय
(ख) बेकार

6. परियोजना में संघटक-वार शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित बुनकरों की कुल सं.	बुनकरों की श्रेणी	पुरूष	महिला	मूलभूत निविष्टि	कार्यशाला	प्रशिक्षण	बुनकरों की कुल सं.
	अ.ज.जा. के बनुकर						
	अ.जा. के बनुकर						
	महिला बुनकर						
	अल्पसंख्यक बुनकर						
	अन्य						

7.	पॉकेट का कारोबार (करोड़ रू. में)	वर्तमान कारोबार	प्रत्याशित कारोबार
	क) घरेलू		
	ख) निर्यात		
	योग		
8.	बुनकर की प्रतिदिन औसत आय (रू. में)	वर्तमान	प्रत्याशित
9.	एक वर्ष में औसत कार्य दिवसों की सं.	वर्तमान	प्रत्याशित
10.	पाकेट के मुख्य हथकरघा उत्पाद	वर्तमान	प्रत्याशित
11.	परियोजना प्रस्ताव में उद्देश्य, शामिल किए जाने वाले बुनकरों की संख्या, मांगी गई संघटक वार सहायता की लिए औचित्य, सामाजिक-आर्थिक लाभ, परियोजना की अवधि, कुल परियोजना लागत, लागत का बंटवारा, ऋण के लिए बैंकों के साथ समझौता, जहां भी आवश्यक हो आदि होना चाहिए । कार्य योजना में चयनित समूह के उत्पादन, उत्पादकता, रोजगार और हथकरघा बुनकरों की आय में वृद्धि के मामले में परियोजना के डलीवरेवल्स का उल्लेख हो ।		

अनुबंध-ख-2(1), ख-2(2), ख-2(3) में समर्थकारी दस्तावेजों के ब्यौरे संलग्न हैं ।

संगठन के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर

प्रतिहस्ताक्षरित

हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक

मोहर

हथकरघा निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी ने प्रपत्र ख-2 में ____________वार्ड/गांव के बुनकर समूह के संबंध में वास्तवित एवं वित्तीय लक्ष्यों के ब्यौरे प्रस्तुत कर दिए हैं और यह कि ये ब्यौरे रिकार्डों से सत्यापनीय हैं ।

2. दिनांक __________ के स्वीकृत आदेश सं. _________ के तहत राज्य की भागीदारी की पूर्ति हेतु आवश्यक बजट प्रावधान पहले ही किया जा चुका है । राज्य के स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न है ।

3. प्रमाणित किया जाता है कि संघटकों के लिए सहायता अनुदान के लिए अब प्रस्तावित लाभानुभोगियों ने किसी अन्य योजना के अंतर्गत पूर्व में इसी संघटक (कों) का लाभ नहीं उठाया है ।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं बेचा जाएगा ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि आईए ने प्रपत्र --------------- में --------------- गांव/वार्ड के बुनकरों के समूह के संबंध में वास्तविक और वित्तीय आवश्यकताओं का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है और इसे राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा दिनांक ____________________ को आयोजित बैठक में स्वीकृत कर दिया गया है । कार्यवृत की एक प्रति संलग्न है ।

(हस्ताक्षर)
हथकरघा प्रभारी निदेशक
(मोहर)

अनुबंध-ख -2(1).

सामूहिक नीति.

मूलभूत निविष्टि

ब्यौरा									*वित्तपोषण का ब्यौरा (लाख रू.में)*				
क्र. सं..	संघटक	बुनकरों की सं.							केन्द्र	राज्य	का.एजेंसी/ लाभानुभोगी	बैंक से ऋण	कुल परिव्यय (अनुदान + बैंक से ऋण)
		अ.जा.	अ.ज.जा.	महिलाएं	अ.पि.व.	अल्पसंख्यक	अन्य	योग					
1.	मार्जिन मनी												
2.	करघों की खरीद												
3.	जैकार्ड/करघा पुर्जों की खरीद												
4.	सहायक सामग्री की खरीद												
	योग												

(हस्ताक्षर)

संगठन के अध्यक्ष /सचिव
मोहर

प्रतिहस्ताक्षरित
हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक

रबर मोहर सहित

अनुबंध-ख-2(2).

सामूहिक दृष्टिकोण

हथकरघा बुनकरों के प्रशिक्षण हेतु आवेदन-प्रपत्र

1.		प्रशिक्षण का विषय (संबंधित विषय को चिन्हित करें)	क. ख. ग. घ.	बुनाई डिजाइन विकास रंजक तकनीकें प्रबंधकीय प्रशिक्षण
2.	क. ख	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम तथा पूरा पता (दूरभाष/फैक्स/ई-मेल पते आदि सहित) संगठन/समिति में पंजीकृत सदस्यों की संख्या		
3	क.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य (संबंधित उद्देश्य को चिन्हित करें)	क. ख. ग. घ. ङ च. छ	नए डिजाइनों का प्रयोग शुरू करना उत्पाद विविधीकरण उत्पाद विकास गुणवत्ता सुधार पारंपरिक/मृतपाय शिल्प का पुनरूद्धार रंगाई की विधियों में सुधार अन्य कोई उद्देश्य (स्पष्ट करें)
	ख	लक्ष्य समूह		(see table below)
	ग.	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु अभिज्ञात हथकरघा समूह/पॉकेट का नाम		
	घ.	प्रशिक्षण कार्यक्रम का स्थान		
	ड.	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रस्तावित तिथियां		
	च.	प्रशिक्षित किए जाने वाले बुनकरों की संख्याः- i) एजेंसी के सदस्य ii) एजेंसी के सदस्यों को छोडकर		
	छ	प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित बुनकरों के नाम व उनकी आयु, लिंग व जाति (अजा/अजजा/अपिव/सामान्य) (कृपया अनुबंध में ब्यौरा संलग्न करें)		
4.		प्रशिक्षण के दौरान उपर्युक्त तकनीक से उत्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पाद (कृपया अनुबंध के रूप में संलग्न करें)		
5.		कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों एवं विषय के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए अपेक्षित वित्तीय-सहायता (कृपया घटकवार ब्यौरा अलग से कागज पर लिखकर संलग्न करें)		

श्रेणी	पुरूष	स्त्रियां	**कुल**
अ.जा			
अ.ज.जा.			
अ.पि.व.			
अल्पसंख्यक			
सामान्य			
कुल			

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय के पूर्वानुमति के बिना नहीं बेचा जाएगा ।

कार्यान्वयन एजेंसी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

परिशिष्ट

कार्यकुशलता उन्नयन/प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु दिशा-निर्देश

हथकरघा बुनकरों/रंगरेजों को उनकी कार्यकुशलता के उन्नयन हेतु बुनाई, डिजाइन विकास, रंगाई तथा प्रबंधकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे बाजार के नवीनतम रूझानों के अनुरूप विविध प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर सकें ।

वीविंग में प्रशिक्षण

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु बैच का आकार: 20 प्रशिक्षु
प्रशिक्षण की अवधि : 2 माह

क्र. सं.	संघटक	11वीं योजना के दौरान आईएचडीएस के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान (रूपए में)
1	20 बुनकरों को वजीफा	90,000 60 दिन के लिए 75/- रूपए प्रति दिन की दर से
2.	मास्टर ट्रेनर को 2 माह का पारिश्रमिक	9,000 2 माह के लिए 4500/- रूपए प्रति माह की दर से
3.	पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु मास्टर ट्रेनर को पारिश्रमिक	2,250 15 दिन के लिए. 150/- रूपए प्रति दिवस की दर से
4.	वार्पिंग ड्रम की लागत	16,000
5.	करघों तथा जुड़नार(डॉबी/जैकार्ड/संयोजन) की लागत 8,000 रूपए + 20 प्रशिक्षुओं तथा 10 करघों के लिए 4,000	1,20,000
6.	कच्चा माल	**24,000 (कपास हेतु)** (रेशमी/ऊनी यार्न 3,000/- प्रति प्रशिक्षु की दर से, सूती यार्न 1200/- रूपए प्रति प्रशिक्षु की दर से, पटसन/पोलिएस्टर यार्न 1000/-प्रति प्रशिक्षु की दर से, यदि प्रशिक्षण में ऊपर उल्लिखित रेशों में से एकाधिक का प्रयोग किया जाता हो, तो इसे 2000/- रूपए प्रति प्रशिक्षु तक सीमित रखा जाए)
7.	लूम सेटिंग प्रभार, आधारभूत निविष्टियों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकतम 10 करघों के अध्यधीन	2,000
8.	नमूनों का प्रलेखन	3,000
	कुल	2,66,250
9.	प्रशासनिक एवं विविध व्यय कुल लागत का 5%	13,000
	कुल **कुल किट**	2,79,250 **जमा 21,000** 3,00,250 **पूर्णांकित** 3,00,000

- सभी श्रेणियों के कुशल तथा अर्धकुशल बुनकर एक बार में 20 के बैच में ।
- प्रशिक्षण देने हेतु शेड किराए पर लेने का प्रावधान, यदि बुनकर सेवा केन्द्र परिसर में आयोजित है तो शून्य, यदि सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/-रूपए प्रति माह और निजी शेडों के लिए 3000/-रू. प्रति माह

<u>डिजाइन विकास में प्रशिक्षण</u>

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु बैच का आकार: 20 प्रशिक्षु
प्रशिक्षण की अवधि : 15 दिन

क्र.सं.	**संघटक**	**11वीं योजना के दौरान आईएचडीएस के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान (रूपए में)**
1	20 बुनकरों हेतु वजीफा	22,500 15 दिन के लिए 75/- रूपए प्रति दिन की दर से
2.	मास्टर ट्रेनर को 15 दिनों का पारिश्रमिक	2,250 15 दिन के लिए 4500/- की दर से
3.	मास्टर ट्रेनर को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु पारिश्रमिक	-
4.	कच्चा माल	18,000 20 प्रशिक्षुओं के लिए प्रत्येक पांच प्रशिक्षु 4500/- रूपए की दर से
5.	डिजाइनों का प्रलेखन	3,000
6.	शेड किराए पर लेना, विद्युत एवं जल प्रभार	2,000 (यदि प्रशिक्षण बुनकर सेवा केन्द्र में आयोजित है, तो शून्य; यदि प्रशिक्षण सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/- रूपए प्रति माह; यदि प्रशिक्षण निजी शेड में आयोजित है, तो 3000/- प्रति माह । इसके अलावा विद्युत एवं जल प्रभार की वास्तविक प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000/- रूपए के अध्यधीन)
	कुल	47,750
7.	प्रशासनिक एवं विविध व्यय कुल लागत का 5%	2,388
	कुल **शेड किराए पर लेना**	50,138 **50,000 तक पूर्णांकित**

- सभी श्रेणियों के कुशल तथा अर्धकुशल बुनकर एक बार में 20 के बैच में ।
- प्रशिक्षण देने हेतु शेड किराए पर लेने का प्रावधान, यदि बुनकर सेवा केन्द्र परिसर में आयोजित है तो शून्य, यदि सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/-रूपए प्रति माह और निजी शेडों के लिए 3000/-रू. प्रति माह

रंगाई में प्रशिक्षण

प्रत्येक कार्यक्रम हेतु बैच का आकार: 20 प्रशिक्षु
प्रशिक्षण की अवधि : 15 दिन

क्र.सं.	संघटक	11वीं योजना के दौरान आईएचडीएस के प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत धनराशि का प्रावधान (रूपए में)
1	20 बुनकरों हेतु वजीफा	22,500 15 दिन के लिए 75/- रूपए प्रतिदिन की दर से
2.	मास्टर ट्रेनर को 15 दिनों का पारिश्रमिक	2,250
3.	मास्टर ट्रेनर को पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हेतु पारिश्रमिक	750 **5 दिन के लिए 150/- रू. की दर से**
4.	कच्चा माल	64,000 20 प्रशिक्षुओं के लिए 3200/- की दर से
5.	डिजाइनों का प्रलेखन	3,000
6.	शेड किराए पर लेना, विद्युत एवं जल प्रभार	2,000 (यदि प्रशिक्षण बुनकर सेवा केन्द्र में आयोजित है, तो शून्य; यदि प्रशिक्षण सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/- रूपए प्रति माह; यदि प्रशिक्षण निजी शेड में आयोजित है, तो 3000/- प्रति माह । इसके अलावा विद्युत एवं जल प्रभार की वास्तविक प्रतिपूर्ति अधिकतम 1000/- रूपए के अध्यधीन)
	कुल योग	94,500
7.	प्रशासनिक एवं विविध व्यय कुल लागत का 5%	4725
	कुल **शेड किराए पर लेना**	99,225 **1,00,000 तक पूर्णांकित**

- सभी श्रेणियों के कुशल तथा अर्धकुशल बुनकर एक बार में 20 के बैच में ।
- मास्टर ट्रेनर को बुनकर सेवा केन्द्र में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेना होगा ।
- प्रशिक्षण देने हेतु शेड किराए पर लेने का प्रावधान, यदि बुनकर सेवा केन्द्र परिसर में आयोजित है तो शून्य, यदि सरकारी संस्थान में आयोजित है तो 2000/-रूपए प्रति माह और निजी शेडों के लिए 3000/-रू. प्रति माह

हथकरघा क्षेत्र में व्यक्तियों को प्रबंधकीय प्रशिक्षण

- सहकारी समितियों/हथकरघा संगठनों के प्रबंधन में कार्य में संलग्न व्यक्तियों को एक बार में 50 के बैच में मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रबंधकीय विषयों के संबंध में 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रत्येक कार्यक्रम हेतु वित्तीय सहायता 25,000/- रूपए की राशि तक सीमित रहेगी ।

<u>परियोजना में खरीदी गई वस्तुओं का निपटान</u>

पयोजना में खरीदी गई वस्तुएं (जैसे करघे, डॉबी, जैकार्ड, सहायक सामग्री) प्रशिक्षुओं को घटे हुए लागत पर सौप दी जाएगी और टूल किट हेतु सहायता में समायोजित कर ली जाएगी । यदि प्रशिक्षुओं को ऐसे करघों आदि की जरूरत न हो तो इन्हें नजदीकी समूह के सीएफसी में प्रशिक्षण देने हेतु स्थायी संरचना के रूप में स्थानांतरित कर दिया जाए ।

<u>प्रशिक्षुओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं का निपटान</u>

प्रशिक्षण की प्रक्रिया के दौरान विकसित उत्पाद प्रशिक्षुओं द्वारा हासिल दक्षता के स्तर को प्रदर्शित करेंगे । यदि विकसित किए गए उत्पाद विपणन योग्य हों तो इस स्कीम का उद्देश्य भी साध्य हो जाएगा ।

आयोजित प्रशिक्षण के दौरान विकसित उत्पादों के निपटान का दायित्व कार्यान्वयन एजेंसी (डब्ल्यूएससी) का होगा । तथापि प्रशिक्षण के दौरान विकसित उत्पादों को खरीदने के लिए प्रशिक्षुओं को प्राथमिकता दी जाएगी । यदि प्रशिक्षुओं द्वारा कोई विशेष उत्पाद विकसित किए गए हों, तो आवश्यकतानुसार डब्ल्यूएससी द्वारा उन्हें रख लिया जाएगा ।

प्रत्येक वस्तु की न्यूनतम कीमत कच्चे माल की लागत और ऊपरी लागत के आधार पर निर्धारित की जाएगी । आधारभूत लागत कार्यान्वयन एजेंसी (डब्ल्यूएससी) द्वारा ज्ञात की जाएगी, जो प्राप्त राजस्व को भारत की समेकित निधि में जमा कराएगी ।

<u>डिजाइनों का प्रलेखन</u>

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि के दौरान विकसित सभी डिजाइनों के तीन सैट बनाए जाएंगे । एक सैट हार्ड कवर में कार्यान्वयन एजेंसी (डब्ल्यू एस सी) की डिजाइन लाइब्रेरी में प्रलेखन तथा स्थायी संदर्भ हेतु रख लिया जाएगा । दूसरा सैट प्रशिक्षुओं को उनके उपयोग हेतु दे दिया जाएगा और तीसरा सैट विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय को भिजवाया जाएगा, जिसे किसी केन्द्रीय संस्थान जैसे एनसीटीडी, एनएचएचएम आदि में रखा जाएगा । प्रलेखन में सोर्स पेपर डिजाइन संबंधी सूचना, कपड़े के नमूने, निर्माण संबंधी विवरण के विश्लेषण, डिजाइन अवधारणा, प्रत्येक डिजाइन के लागत मूल्य का ब्यौरा शामिल किया जाएगा ।

प्रलेखन के प्रयोजनार्थ वित्तीय सहायता प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 3000/- रूपए तक सीमित रखी जानी चाहिए ।

<u>कार्यान्वयन एजेंसी</u>

हथकरघा समूह के बाहर के प्रशिक्षण हेतु कार्यान्वयन एजेंसी संबंधित बुनकर सेवा केन्द्र है । जबकि समूह हेतु प्रशिक्षण एजेंसी का निर्णय उस समूह की कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा लिया जाएगा ।

<u>अनुबंध-ख-2(3).</u>

<u>सामूहिक दृष्टिकोण</u>

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के कार्यशाला घटक के अंतर्गत सहायता के दावे हेतु प्रभारी निदेशक, हथकरघा द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

<table>
<tr><td rowspan="3">क्र. सं.</td><td rowspan="3">पात्र हथकरघा एजेंसी का नाम व पता तथा पंजीकरण सं.</td><td colspan="12">लाभानुभोगियों की संख्या</td><td colspan="2">बुनकर की श्रेणी</td><td colspan="3">स्वीकृत की जाने वाली सब्सिडी की राशि</td><td rowspan="3">अभ्युक्ति</td></tr>
<tr><td colspan="2">सामान्य</td><td colspan="2">अजा</td><td colspan="2">अजजा</td><td colspan="2">अपिव</td><td colspan="2">अल्प संख्यक</td><td colspan="2">योग</td><td rowspan="2">बीपीएल</td><td rowspan="2">नॉन बीपीएल</td><td rowspan="2">बीपी एल</td><td rowspan="2">नॉन बीपी एल</td><td rowspan="2">योग</td></tr>
<tr><td>पुरूष</td><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>महिला</td><td>पुरूष</td><td>महिला</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

<u>प्रमाणित किया जाता है कि</u>

1. भूमि का हक बुनकरों के नाम पर है ।
2. लाभानुभोगी ने राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत इस प्रकार की सहायता का लाभ नहीं उठाया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस योजना के तहत सहायता से सृजित परिसंपत्ति को नहीं बेचा जाएगा अथवा उसे किराए पर नहीं लगाया जाएगा ।
4. राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा इस प्रस्ताव की सिफारिश दिनांक _________ को आयोजित इसकी बैठक में कर दी गई है ।बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है ।
5. यह मानने का कोई कारण नहीं है कि ये संगठन भ्रष्ट पद्धतियों में लिप्त हैं ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।
7. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

हथकरघा के प्रभारी निदेशक का हस्ताक्षर

अनुबंध-ग-1.

विपणन प्रोत्साहन

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत विपणन प्रोत्साहन के दावे हेतु हथकरघा निगमों/शीर्षस्थ सहकारी समितियों/फेडरेशनों/राष्ट्रीय स्तर के संगठनों/प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों आदि द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रपत्र

1. राज्य का नाम
2. दावे से संबंधित वर्ष
3. एजेंसी का नाम एवं पता
4. सहकारी समिति द्वारा कवर की गई बुनकर एजेंसियों की संख्या

	पुरूष	महिला	**कुल**
सामान्य			
अ.जा			
अ.ज.जा.			
अ.पि.व.			
अल्पसंख्यक			
अन्य			
कुल			

5. पिछले तीन वर्षों का बिक्री टर्नओवन (शीर्षस्थ/फेडरेशनों/निगमों, सरकारी विभागों/एजेंसियों को की गई बिक्री, हथकरघा एजेंसियों को की गई बिक्री/वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत की गई बिक्री तथा रिबेट स्कीम के अंतर्गत सहायता के दावे के प्रयोजनार्थ परिकल्पित बिक्री को छोड़कर)

क्र.सं.	वर्ष फैब्रिक	मेडअप्स	परिधान	कुल
i)				
ii)				
iii)				
कुल				

6. पिछले तीन वर्षों का औसत टर्नओवर
7. 10% की दर से पात्र विपणन प्रोत्साहन
8. राज्य का अंशदान 5% की दर से
9. केन्द्रीय सरकार का अंशदान 5% की दर से

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त आंकड़े सही हैं और एजेंसी द्वारा शीर्षस्थ/फेडरेशनों/निगमों, सरकारी विभागों/एजेंसियों/हथकरघा एजेंसियों को की गई बिक्री, छूट योजना के अंतर्गत सहायता के दावे हेतु परिकलित बिक्री तथा वस्तु-विनिमय प्रणाली के अंतर्गत की गई बिक्री के विपणन प्रोत्साहन की गणना में शामिल नहीं किया गया है ।

सहकारी समिति/
एजेंसी के अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर
मुहर सहित

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर
पंजीयन सं. सहित
सांविधिक लेखा परीक्षक
मुहर सहित

अनुबंध -ग-1 के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि एजेंसी कार्यरत है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि विपणन प्रोत्साहन की पात्रता की गणना हेतु क्रम सं. 1 से 5 में उल्लिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया है और वे सही हैं और उनका विधिवत सत्यापन किया गया है ।

3. इस प्रस्ताव को राज्य स्तरीय परियोजना समिति की दिनांक_______ को आयोजित इसकी बैठक, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है, में मंजूरी दे दी गई है ।

4. राज्य का अंशदान राज्य सरकार के स्वीकृति आदेश सं. ________दिनांक __________ द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया है । राज्य के हिस्से की रिलीज आदेश की प्रति सलंग्न है ।

5. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।

6. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

7. प्रमाणित किया जाता है कि यह मानने का कोई कारण नहीं है कि यह एजेंसी भ्रष्ट पद्धतियों में लिप्त है ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण सही है और गारंटी संगठन के बही खातों से इसका सत्यापन किया जा सकता है ।

(हस्ताक्षर)
प्रभारी निदेशक हथकरघा
मुहर सहित

अनुबंध-ग-2

विपणन प्रोत्साहन

एकीकृत हथकरघा विकास योजना के विपणन प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत हथकरघा एजेंसियों के दावे अग्रेषित करते समय हथकरघा निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला समेकित विवरण

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	दावे से संबंधित वर्ष	कुल विपणन प्रोत्साहन की पात्रता	एसएलपीसी द्वारा अनुमोदित विपणन प्रोत्साहन	राज्य का अंशदान	केंद्रीय अंशदान	राज्य सरकार द्वारा जारी राशि	केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की जाने वाली राशि
कुल								

ऊपर उल्लिखित हथकरघा एजेंसियों द्वारा शामिल किए जाने वाले श्रेणीवार बुनकरों की कुल संख्या निम्नलिखितनुसार है:-

उपर्युक्त हथकरघा एजेंसियों द्वारा शामिल किए जाने वाले श्रेणीवार बुनकरों की कुल संख्या											
सामान्य		अजा		अजजा		अपिव		अल्प संख्यक		योग	
पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला	पुरूष	म हि ला

हथकरघा एवं वस्त्र निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण-पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी एजेंसियां कार्यरत हैं ।
2. प्रमाणित किया जाता है कि _______राज्य के संबंध में ऊपर उल्लिखित समेकित विवरण एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग दावों के अधार पर तैयार किया गया है ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रस्ताव के अंतर्गत प्रस्तुत दावों में कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है और यह कि उपर्युक्त हथकरघा एजेंसियों द्वारा दावा की गई सहायता का पहले कभी दावा नहीं किया गया था ।
4. प्रमाणित किया जाता है कि योजना की सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई हैं ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा विपणन प्रोत्साहन के रूप में अब तक निर्गत समस्त सहायता की संपूर्ण राशि संबंधित गारंटी संगठन को प्रदान कर दी गई है ।
6. प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पहले निर्गत विपणन प्रोत्साहन सहायता के संवितरण के बारे में राज्य में कोई शिकायत(शिकायतें) प्राप्त नहीं हुई है ।
7. प्रमाणित किया जाता है कि __________की राज्य सरकार के संबंध में हथकरघा एजेंसियों द्वारा अब प्रस्तुत दावा जो उक्त वर्ष (वर्षों) के संबंध में है, पूर्ण तथा अंतिम है और राज्य द्वारा इस अवधि के संबंध में भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।

8. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त गारंटी संगठन के संबंध में हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय अथवा वस्त्र मंत्रालय अथवा वस्त्र मंत्रालय के किसी विभाग की किसी योजना के तहत इसके द्वारा प्राप्त किसी अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति लंबित नहीं है ।

9. यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यान्वयन एजेंसी मौजूद है और कार्य कर रही है ।

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त हथकरघा संगठनों/एजेंसियों के दावों को राज्य स्तरीय परियोजना समिति द्वारा दिनांक _________ को आयोजित इसकी बैठक में, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है, मंजूरी दे दी गई थी।

11.प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण एक सी डी में अग्रेषित किया गया है ।

प्रभारी निदेशक हथकरघा के हस्ताक्षर

<u>विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना</u>

1.0 घरेलू एवं निर्यात बाजारों में विपणन माध्यमों के विकास और संवर्धन एवं व्यापक तथा समेकित ढंग से दोनों के बीच संपर्क बढ़ाने की दृष्टि से "विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना" के बैनर तले 11वीं योजना में कुछेक संशोधनों तथा नए संघटकों को जोड़कर 10वीं योजना के विपणन संवर्धन कार्यक्रम तथा हथकरघा निर्यात योजना को मिलाने का निर्णय लिया गया था । 11वीं योजना में विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना को निम्नलिखित दो संघटकों के साथ केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक प्लान योजना के रूप में लागू किया गया है :

1. विपणन संवर्धन
2. हथकरघा निर्यात संवर्धन ।

2.0 <u>**विपणन संवर्धन के उद्देश्य**</u>:

i. राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करके हथकरघा उत्पादों की बिक्री में सहायता करना;

ii. देश के विभिन्न भागों से एक ही स्थान पर वास्तविक हथकरघा उत्पादों की खरीद करने में उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करना;

iii. नवीनतम डिजायनों तथा हथकरघा क्षेत्र में उत्पादित वस्त्रों की किस्मों के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता के संवर्धन हेतु एक केंद्र के रूप में कार्य करना ;

iv. उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर गुणवत्ता युक्त हथकरघा उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए स्थायी आउटलेटों के सृजन की दृष्टि से प्रमुख शहरों तथा कस्बों में हथकरघा एजेंसियों को विपणन अवसंरचना सहायता प्रदान करना ;

v. हथकरघा के विपणन को बढ़ाने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों के हथकरघा उत्पादों को एक ही स्थान पर उपलबब्ध करवाकर एक ही छत के नीचे सामूहिक पण्य वस्तु व्यापार की व्यवस्था करना ;

vi. डिजाइनों तथा तकनीकों में नवीकरण को प्रोत्साहित करना तथा हथकरघा बुनकरों के बीच पारंपरिक कुशलता एवं डिजाइनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना ;

vii. हथकरघा बुनकरों तथा एजेंसियों के उपयोग हेतु विपणन अवसंरचना के सृजन में सहायता करना;

viii. ब्रांड पहचान की जागरूकता पैदा करना तथा व्यापक राष्ट्रीय महत्व के एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु हथकरघा के एक ब्रांड के विकास का संवर्धन करना; तथा

ix. हथकरघा क्षेत्र की गुणवत्ता एवं उत्पादकता को सुधारने के लिए बुनकरों के बीच प्रौद्योगिकीय विकास एवं प्रगति की जागरूकता का संवर्धन करना ।

3.0 विपणन विकास के अंतर्गत उप-संघटक

विपणन संवर्धन में हथकरघा संवर्धन एवं विपणन हेतु व्यापक कार्यकलापों की परिकल्पना की गई है । कार्यान्वयन एवं निगरानी में आसानी के लिए ये कार्यकलाप निम्नलिखित संघटकों के जरिए किए जा रहे हैं:

- प्रदर्शनियों, आयोजनों एवं शिल्प मेलों का आयोजन
- शहरी हॉटों की स्थापना
- विपणन कॉम्पलैक्सों की स्थापना
- प्रचार एवं जागरूकता
- भौगोलिक संकेत अधिनियम
- हथकरघा विपणन कॉम्पलैक्स, जनपथ, नई दिल्ली
- हथकरघा मार्क

उपर्युक्त संघटकों के अंतर्गत मुख्य-मुख्य कार्यकलापों, उपर्युक्त संघटकों में से प्रत्येक संघटक के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों तथा उक्त कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वित्तपोषण की पद्धति के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

3.1 प्रदर्शनियों, आयोजनों एवं शिल्प मेलों का आयोजन

हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों का विपणन करने का अवसर प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं के समक्ष देश के विभिन्न भागों से हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर अनेक हथकरघा प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं । इसके अलावा, इस संघटक में मद विशिष्ट, क्षेत्र विशिष्ट और वस्त्र विशिष्ट हथकरघा उत्पादों का विपणन एवं संवर्धन का प्रावधान होगा । इसके अलावा इस संघटक में हथकरघा बुनकरों को शिल्प मेलों में भागीदारी हेतु सहायता उपलब्ध होगी और इस प्रकार एक ही स्थान पर उपभोक्ताओं को विभिन्न हथकरघा उत्पाद उपलब्ध होंगे ।

3.1.1 राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो

विपणन कार्यनीति तथा प्रचार संबंधी उपायों के एक भाग के रूप में विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो तथा विशेष एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है । समय के साथ-साथ इन आयोजनों को लोकप्रियता मिली है और इन आयोजनों में हुई बिक्रियों में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है । इन एक्सपो का आयोजन 2 से 3 सप्ताह की अवधि के लिए किया जाता है । विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों, राज्यों एवं उसकी एजेंसियों के अनुरोधों, प्रस्तावित स्थानों की विपणन क्षमता, निधियों की उपलब्धता, जिला स्तरीय मेलों तथा शिल्प मेलों आदि की पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार आयोजनों की संख्या, स्थान एवं अवधि के बारे में प्रत्येक वर्ष निर्णय लिया जाएगा । भागीदारों को केवल हथकरघा उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति दी जाती है ।

भागीदार

इन एक्सपो में भाग लेने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां पात्र होंगी :

i. सभी स्तरों की शीर्षस्थ हथकरघा सहकारी समितियां, निगम, परिसंघ तथा प्राथमिक सहकारी समितियां ।

ii. हथकरघा से जुड़े हुए और कापॉर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले गैर-सरकारी संगठन ।

iii. हथकरघा उत्पादन करने वाले स्वसहायता समूह

प्रत्येक एक्सपो के लिए भागीदारों की संख्या निर्धारित करने हेतु विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय सक्षम प्राधिकरण है ।

<u>कार्यान्वयन एजेंसियां :</u> राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो का आयोजन एनएचडीसी, हथकरघा निगमोकं और शीर्ष समितियों का संघ (आकाश) आदि जैसे राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों, राज्य सरकारों द्वारा सीधे या राज्य स्तर की किसी हथकरघा एजेंसी/परिसंघ के जरिए और बुनकर सेवा केंद्रों द्वारा किया जाएगा ।

<u>वित्तपोषण की पद्धति:</u> भागीदारों द्वारा विपणन को बढ़ाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि इन एक्सपो के लिए अवसंरचना सहायता, स्टॉल किराया, विद्युत प्रभारों, प्रचार, सहायक सेवाओं, प्रशासनिक व्यय आदि के रूप में वित्तीय सहायता जारी रखी जाए । 15 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो 38.00 लाख रूपए तक की सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे जबकि 15 लाख से कम की जनसंख्या वाले अन्य स्थानों पर आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो 18.00 लाख रूपए तक की सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे । इस सीमा से अधिक होने वाले किसी व्यय को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वहन किया जाएगा । वित्तीय सहायता समय-समय पर यथासंशोधित **परिशिष्ट-I** में उल्लिखित दिशानिर्देशों में निर्धारित ऐसे दस्तावेजों द्वारा समर्थित दावों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर व्यय की प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी । जहां आवश्यक होगा, वहां निधियों की उपलब्धता के अधीन पात्र व्यय के 50% तक का अग्रिम जारी किया जा सकता है ।

<u>एक्सपो में डब्ल्यू एस सी थीम पेवेलियन :</u>

बुनकर सेवा केन्द्र की सहायता से कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो में विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा यथा निर्धारित 500-2500 वर्ग फुट की थीम पेवेलियन स्थापित कर सकती है । विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा प्रत्येक एक्सपो के लिए थीम पैवेलियन का निर्धारण थीम को शामिल करते हुए अपने उत्पादों के विकास हेतु संभावित भागीदारों से पूछताछ करने के बाद काफी समय पहले कर दिया जाएगा ।

डब्ल्यू एस सी थीम पेवेलियन में प्रदर्शन का कार्य संबंधित डब्ल्यूएससी या किसी अन्य संगठन को सौपा जाएगा । पेवेलियन में प्रदर्शन से संबंधित व्यय हेतु विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा संबंधित डब्ल्यू एस सी को 25,000 रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा ।

राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो के लिए कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो के आयोजन हेतु विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों के भीतर डब्ल्यू एस सी थीम पेवेलियन की स्थापना करने के लिए जिम्मेवार होगी । डब्ल्यू एस सी थीम पेवेलियन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी को कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी ।

3.1.2 <u>विशेष एक्सपो</u>

विपणन माध्यमों का विविधीकरण करने के लिए विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो के अतिरिक्त विशेष एक्सपो का आयोजन किया जाएगा । विशेष एक्सपो का आयोजन राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर और राज्य स्तर पर किया जाएगा । राष्ट्रीय स्तर पर विशेष एक्सपो ऊन, रेशम आदि जैसे विशिष्ट फाइबरों या साड़ियों, गृह साज-सज्जा आदि जैसे विशिष्ट उत्पादों के लिए होंगे । राज्य स्तर पर विशेष एक्सपो उक्त राज्य के हथकरघा उत्पादों के लिए होगा । विशेष एक्सपो की अवधि 2 से 3 सप्ताह की होगी । इसके अलावा आकाश द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में प्रति वर्ष आईटीपीओ द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान एक विशेष एक्सपो का आयोजन किया जाएगा ।

<u>भागीदार</u>

(i) सभी स्तरों की शीर्षस्थ हथकरघा सहकारी समितियां, निगम, परिसंघ तथा प्राथमिक सहकारी समितियां ।

(ii) हथकरघा से जुड़े हुए और कार्पॉर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले गैर-सरकारी संगठन ।

(iii) हथकरघा उत्पादन करने वाले स्व-सहायता समूह

<u>कार्यान्वयन एजेंसियां :</u> राष्ट्रीय स्तर पर विशेष एक्सपो का आयोजन एनएचडीसी, आकाश आदि जैसे राष्ट्रीय हथकरघा संगठनों, राज्य सरकार, राज्य हथकरघा विकास निगम तथा राज्य की शीर्षस्थ हथकरघा सहकारी समितियों द्वारा किया जाएगा । क्षेत्रीय स्तर पर विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन एनएचडीसी, आकाश जैसे किसी राष्ट्रीय हथकरघा संगठन द्वारा किया जा सकता है । राज्य स्तर पर विशेष हथकरघा एक्सपो का आयोजन राज्य सरकार द्वारा सीधे या राज्य स्तरीय हथकरघा निगम/शीर्षस्थ सहकारी समिति/परिसंघ द्वारा किया जा सकता है ।

<u>वित्तपोषण की पद्धति:</u> राष्ट्रीय स्तर पर विशेष एक्सपो के लिए वित्तीय सहायता स्टॉल किराया, अवसंरचना एवं प्रचार से संबंधित व्यय हेतु 20.00 लाख रूपए तक सीमित होगी । क्षेत्रीय स्तर पर विशेष एक्सपो के मामले में वित्तीय सहायता स्टॉल किराया, अवसंरचना एवं प्रचार से संबंधित व्यय हेतु 10.00 लाख रूपए तक सीमित होगी । राज्य स्तर पर विशेष एक्सपो के लिए वित्तीय सहायता स्टॉल किराया, अवसंरचना एवं प्रचार से संबंधित व्यय हेतु 8.00 लाख रूपए तक सीमित होगी । तथापि, उत्तरी राज्यों के लिए राज्य स्तर पर विशेष एक्सपो के लिए वित्तीय सहायता दुर्गम भू-क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए स्टॉल

किराया, अवसंरचना एवं प्रचार से संबंधित व्यय हेतु 10.00 लाख रूपए तक सीमित होगी । उपर्युक्त राशि या किए गए वास्तविक व्यय, जो भी कम हो का भुगतान किया जाएगा ।

इस संघटक के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश और वित्तीय सहायता हेतु मापदंड **परिशिष्ट-II** में दिए गए हैं ।

3.1.3 <u>जिला स्तरीय आयोजन:</u>

वर्ष 1996-97 से विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय द्वारा स्थापित जिला स्तरीय आयोजनों/मेलों/उत्सवों के जरिए हथकरघा उत्पादों के विपणन का संवर्धन किया जा रहा है । कार्यकलाप की लोकप्रियता और उसके लाभों को देखते हुए इसे 11वीं योजना में जारी रखा जाएगा ।

विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा राज्यों के अनुरोधों, प्रस्तावित स्थानों की विपणन क्षमता, निधियों की उपलब्धता, राष्ट्रीय हथकरघा एक्सपो तथा शिल्प मेलों आदि की पूर्व निर्धारित तिथियों के अनुसार जिला स्तरीय आयोजनों की संख्या, स्थान एवं अवधि के बारे में प्रत्येक वर्ष निर्णय लिया जाएगा । भागीदारों को केवल हथकरघा उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति दी जाती है । जिला स्तरीय समारोहों का आयोजन यथासंभव राज्यों के साथ पारस्परिक आधार पर भी किया जा सकता है ।

<u>भागीदार:</u>

जिला स्तरीय आयोजनों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित एजेंसियां/व्यष्टि पात्र होंगे :

- हथकरघा बुनकर
- प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां

<u>कार्यान्वयन एजेंसियां:</u>

जिला स्तरीय समारोहों का आयोजन निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया सकता है :

- राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्र
- राज्य हथकरघा विकास निगम
- राज्य स्तरीय हथकरघा सहकारी परिसंघ/शीर्षस्थ समितियां
- जिला ग्राम विकास एजेंसियां

- बुनकर सेवा केंद्र
- समेकित हथकरघा विकास योजना में हथकरघा समूह विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चुने गए हथकरघा समूहों की कार्यान्वयन एजेंसियां

<u>वित्तपोषण की पद्धति</u>

प्रत्येक जिला स्तरीय समारोह अवसंरचना संबंधी व्यय के लिए 1.5 लाख रूपए तक और प्रचार संबंधी व्यय के लिए 50,000 रूपए तक की वित्तीय सहायता का पात्र होगा । जहां आवश्यक होगा, पात्र राशि के 50% तक को अग्रिम रूप में जारी किया जा सकता है तथा शेष 50% या वास्तविक व्यय, जो भी राशि कम हो, की प्रतिपूर्ति उक्त समारोह के समाप्त होने के बाद राज्य हथकरघा प्रभारी निदेशक के जरिए लेखा परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करने पर की जाएगी । वित्तीय सहायता स्थान के किराए, प्रदर्शन संरचना, सजावट, परिवहन, विद्युत एवं जल तथा प्रचार पर अनुमत्य होगी । भुगतान हेतु अंतिम दावे के साथ स्थान, निर्माण आदि के लिए किराए की रसीद की जरूरत होती है ।

इसके अलावा, क्षेत्रीय जांच करने के लिए नामित डब्ल्यू एस सी को 2500 रूपए की राशि का भुगतान किया जाएगा । इस संघटक के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश तथा वित्तीय सहायता हेतु मापदंड **परिशिष्ट-III** में दिए गए हैं ।

3.1.4 <u>शिल्प मेले</u>

शिल्प मेले का आयोजन विकास आयुक्त (हथकरघा) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालयों का एक संयुक्त कार्यकलाप होगा । इस संघटक के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को निम्नलिखित शिल्प मेलों : फरीदाबाद (हरियाणा), स्थित सूरजकुड, उदयपुर (राजस्थान), स्थित शिल्पग्राम, आगरा (उ.प्र.), स्थित ताज महोत्सव, माधोपुर, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश), स्थित शिल्पारामम, पटियाला (पंजाब), स्थित पटियाला, विरासत महोत्सव, क्षेत्रीय शिल्प मेला, भुवनेश्वर उड़ीसा तथा क्षेत्रीय शिल्प मेला, मुबई, महाराष्ट्र आदि में भागीदारी करने के लिए भेजे जाएंगे ।

यदि जरूरत महसूस की जाती है तो केन्द्रीय शहरी मंत्रालय आदि के परामर्श से नए शिल्प मेलों को सूची में शामिल किया जा सकता है । इन मेलों का उद्देश्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प की बिक्री का संवर्धन करना है । उपर्युक्त सभी शिल्प मेले वार्षिक विशेषताएं हैं । इन मेलों से बुनकरों तथा दस्तकारों को अपनी पारंपरिक कुशलता का प्रदर्शन करना और उपभोक्ताओं के समक्ष खूबसूरत डिजाइनों तथा विभिन्न प्रकार के हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है ।

इन मेलों से बुनकरों को बाजार मांग तथा उपभोक्ता की रूचि के अनुसार प्रदर्शन करने का अवसर भी उपलब्ध होता है । इसके प्रत्युत्तर में आगंतुकों को बाजार में उपलब्ध व्यापक हथकरघा तथा हस्तशिल्प उत्पादों की जानकारी मिलती है । शिल्प मेलों में भागीदारी हेतु बुनकरों के चयन के विस्तृत दिशा-निर्देश **परिशिष्ट-IV** में दिए गए हैं ।

भागीदार :

इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं, उत्कृष्टता प्रमाण-पत्र धारकों, राज्य पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी ।

कार्यान्वयन एजेंसी: शिल्प मेलों के आयोजन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियां उस राज्य सरकार की निर्दिष्ट एजेंसी होगी, जहां शिल्प मेले का आयोजन किया जाना है । शिल्प मेलों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां निम्नलिखित हैं :-

I. सूरज कुंड मेला	सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा सरकार
II. शिल्पग्राम	शिल्पग्राम मेला प्राधिकरण, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार
III. शिल्परामम	निर्दिष्ट एजेंसी, आंध्रप्रदेश सरकार
IV. ताज महोत्सव	निर्दिष्ट एजेंसी, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
V. पटियाला विरासत महोत्सव	पर्यटन विभाग, चंडीगढ़, पंजाब
VI. क्षेत्रीय शिल्प मेला, भुवनेश्वर	निर्दिष्ट एजेंसी, उड़ीसा सरकार
VII. क्षेत्रीय शिल्प मेला, मुंबई	निर्दिष्ट एजेंसी, महाराष्ट्र सरकार
VIII. क्षेत्रीय शिल्प मेला, ग्वालियर	निर्दिष्ट एजेंसी, मध्यप्रदेश सरकार

वित्तपोषण की पद्धति: प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसी को वित्तीय सहायता अवसंरचना संबंधी वास्तविक व्यय तथा शिल्प मेले से संबंधित प्रचार के आधार पर 10.00 लाख रूपए तक प्रदान की जाएगी । व्यय की अनुमत्य मदों में विपणन स्टॉलों हेतु मेला स्तर पर स्थायी/अस्थायी संरचनाओं की स्थापना तथा बुनकरों के लिए सुविधाएं, विद्युत एवं जल संबंधी व्यय तथा उक्त समारोह के संचालन से संबंधित प्रासंगिक व्यय शामिल हैं । प्रचार के तहत अनुमत्य व्यय की मदों में विज्ञापनों, होल्डिंगों, पोस्टरों, पुस्तिकाओं आदि की छपाई से संबंधित व्यय शामिल है । जहां आवश्यक होगा, 50% तक का अग्रिम जारी किया जा सकता है ।

3.1 **शहरी हॉटों की स्थापना**

दिल्ली हॉट की तर्ज पर हथकरघा बुनकरों/शिल्पकारों को विपणन आउटलेट उपलब्ध कराने के लिए देश के प्रमुख स्थानों पर स्थायी विपणन अवसंरचना की स्थापना हेतु शहरी हाटों की स्थापना संबंधी योजना वर्ष 1997-98 में लागू की गई थी । इस योजना का वित्तपोषण विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमश: 35%:35%:30% के अनुपात में सीधे किया जाता है ।

इस संघटक में देश में पर्यटन एवं व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रमुख स्थानों पर शहरी हॉटों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है । भागीदार शिल्पकारों/बुनकरों द्वारा सीधे ग्राहकों को हस्तशिल्प/हथकरघा उत्पादों की बिक्री की जाएगी । इससे शिल्पकारों/बुनकरों को पर्याप्त प्रत्यक्ष विपणन सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तथा बीच की एजेंसियां समाप्त हो जाती हैं । इस हॉट की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें बारी-बारी से देश के विभिन्न भागों के प्रामाणिक भारतीय पाक कला से संबंधित वस्तुओं की बिक्री करने वाले पर्याप्त स्टॉल होंगे । खाद्य एवं शिल्प बाजार से दिल्ली हॉट, जिसे उसके अस्तित्व में आने के केवल तीन वर्ष में ही अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हो गया है, की तर्ज पर घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों दोनों के लिए विश्राम एवं मनोरंजनात्मक सुविधाएं उपलब्ध होंगी । शहरी हॉटों को शासित करने वाले डिजाइन मापदंडों के दिशा-निर्देश तथा वित्तीय सहायता का स्तर **परिशिष्ट-V** में दिया गया है ।

<u>शहरी हॉटों की स्थापना हेतु परियोजनाओं का चयन:</u> शहरी हॉट की स्थापना के प्रस्तावों की जांच एक शासी परिषद द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :-

i.	विकास आयुक्त (हथकरघा)	- अध्यक्ष
ii.	विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)	- सदस्य
iii.	उप सचिव/निदेशक (आईएफडब्ल्यू), वस्त्र मंत्रालय	- सदस्य

इसके अलावा, नीति निर्माण तथा हॉटों के समग्र नियंत्रण की जिम्मेवारी शासी निकाय के पास होगी । निम्नलिखित सदस्यों वाले शासी निकाय का गठन कर उसे उन राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें किसी शहरी हॉट की मंजूरी प्रदान की गई है और उक्त शासी निकाय नीति निर्माण एवं हॉट के समग्र नियंत्रण के लिए जिम्मेवार होगा :

i.	राज्य सरकार के हथकरघा/हस्तशिल्प प्रभारी सचिव	- अध्यक्ष
ii.	राज्य सरकार के पर्यटन प्रभारी सचिव	- सदस्य
iii.	राज्य सरकार का निदेशक, हथकरघा/हस्तशिल्प	- सदस्य
iv.	विकास आयुक्त(हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
v.	विकास आयुक्त(हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय का प्रतिनिधि	- सदस्य
vi.	राज्य सरकार के वित्त प्रभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य

<u>कार्यान्वयन एजेंसी :</u> इस योजना का कार्यान्वयन परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त वित्तीय संसाधन और संगठनात्मक क्षमता रखने वाले राज्य हस्तशिल्प/हथकरघा विकास निगमों/राज्य पयर्टन विकास निगमों के जरिए किया जाएगा ।

<u>वित्तपोषण की पद्धति:</u> परियोजना की पूंजीगत लागत, जो 300.00 लाख रूपए होने का अनुमान है, का वित्तपोषण निम्नानुसार किया जाएगा :

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार	70%	210.00 लाख रूपए, जिसकी समान भागीदारी विकास आयुक्त (हथकरघा) के कार्यालय और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा की जाएगी ।
राज्य सरकार की एजेंसी	30%	90.00 लाख रूपए

केन्द्रीय सहायता प्रति शहरी हॉट के लिए अधिकतम 2.10 करोड़ रूपए की होगी और लागत में किसी वृद्धि को राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा ।

इसके अलावा, परियोजना के प्रचार हेतु भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय से प्रथम वर्ष में 15.00 लाख रूपए और दूसरे वर्ष में 10.00 लाख रूपए के एकमुश्त अनुदान की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

3.2 विपणन कॉम्पलैक्सों की स्थापना

योजना के इस संघटक का उद्देश्य हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों के लिए स्थायी विपणन आउटलेट सृजित करने की दृष्टि से विपणन कॉम्पलेक्सों की स्थापना करके विपणन सहायता प्रदान करना है । इस संघटक में "एक ही स्थान पर खरीददारी" की अवधारणा को पूरा करने के लिए भारत के प्रमुख शहरों/कस्बों में विपणन कॉम्पलैक्स स्थापित करने की परिकल्पना की गई है । उपभोक्ताओं के पास हथकरघा एजेंसियों के शोरूमों से सीधे अपनी पसंद की वास्तविक हथकरघा मदों को चुनने और उनकी खरीद करने का लाभ प्राप्त होगा । विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा उपर्युक्त मदों के लिए शहरों/कस्बो को अभिज्ञात किया जाएगा । कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कार्यकलाप करने के लिए शहरों तथा कस्बों में उचित क्षमता वाले स्थानों को अभिज्ञात किया जाएगा । योजना के अनुसार उपर्युक्त आयोजनों में भाग लेने वाले कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पात्र हथकरघा एजेंसियों को चयन कर उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा ।

भागीदार:

इस संघटक के अंतर्गत स्थापित विपणन कॉम्पलैक्सों में भागीदारी करने के लिए निम्नलिखित हथकरघा एजेंसियां पात्र होंगी :

(i) राष्ट्रीय स्तर के हथकरघा संगठन
(ii) राज्य हथकरघा विकास निगम
(iii) शीर्षस्थ राज्य हथकरघा सहकारी समितियां
(iv) क्षेत्रीय/प्राथमिक सहकारी हथकरघा समितियां/परिसंघ
(v) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद
(vi) विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा यथा अनुमोदित कोई अन्य हथकरघा एजेंसी/हथकरघा निर्यातक

विपणन कॉम्पलैक्स का प्रबंधन

निर्माण/खरीद के बाद विपणन कॉम्पलैक्स का प्रबंधन विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय के परामर्श से और भागीदार हथकरघा एजेंसियों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा गठित एक प्रबंधन समिति के जरिए किया जाएगा । विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय से या किसी राष्ट्रीय हथकरघा संगठन या संबंधित राज्य सरकार से एक नामिति को उक्त प्रबंधन समिति में नियुक्त किया जा सकता है ।

कार्यान्वयन एजेंसी: विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त वित्तीय और संगठनात्मक संसाधन रखने वाले एनएचडीसी, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद, आकाश या राज्य स्तरीय शीर्षस्थ हथकरघा संगठन जैसी राष्ट्रीय स्तर की किसी उचित हथकरघा एजेंसी का चयन किया जा सकता है । राज्य स्तर के किसी हथकरघा संगठन के मामले में उक्त संगठन को उक्त राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए । कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा हथकरघा एजेंसी से उनकी भागीदारी के बारे में मंशा प्राप्त की जाएगी और परियोजना तभी शुरू की जाएगी जब पर्याप्त संख्या में एजेंसियां उसमें भाग लेने की इच्छुक होंगी । यह अनिवार्य है कि एजेंसियों को उनके निवेश पर आय की लाभकारी दर अर्जित करने में समर्थ होना चाहिए । कॉम्पलैक्स के निर्माण/अर्जन के बाद उक्त कार्यान्वयन एजेंसी या तो कॉम्पलैक्स का उपयोग स्वयं के लिए या बिक्री के लिए कर सकती है या पात्र एजेंसियों को कॉम्पलैक्स में स्थित दुकानों को किराए पर दे सकती है ।

अभिज्ञात कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उचित विपणन कॉम्पलैक्स का अर्जन सुनिश्चित करने अथवा विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा यथा अनुमोदित हथकरघा एजेंसियों के लिए ऐसे किसी कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु राज्य सरकार/स्थानीय निकायों/भूमि विकास प्राधिकारियों/बिल्डरों तथा ख्याति प्राप्त प्रवर्तकों आदि से संपर्क और समन्वय करेगी ।

वित्तपोषण की पद्धति परियोजना का वित्तपोषण निम्नानुसार किया जाएगा :

(i) विपणन कॉम्पलैक्स की स्थापना हेतु संपत्ति की खरीद/निर्माण के लिए एक संग्रह निधि पहले ही सृजित की जा चुकी है और उसे राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी) को सौंप दिया गया है । आरंभिक खरीद/निर्माण के बाद एनएचडीसी द्वारा 50% राशि की वसूली भागीदार हथकरघा एजेंसियों से की जाएगी ।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा विपणन कॉम्पलैक्स की खरीद/निर्माण हेतु तथा इस प्रकार से क्रीत/निर्मित शोरूमों की आंतरिक साज सज्जा के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को 50% अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी । शेष 50% को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा । केन्द्र सरकार द्वारा अपने 50% हिस्से के रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली अधिकतम राशि 5.00 करोड़ रूपए तक सीमित होगी ।

(iii) सामान्य क्षेत्रों में आंतरिक सजावट तथा विपणन कॉम्पलैक्सों में सामान्य क्षेत्रों में बाह्य स्थलाकृति के लिए 100% सहायता केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी को प्रदान की जाएगी ।

(iv) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विपणन कॉम्पलैक्स में शोरूमों को किराया/पट्टा आधार पर बारी-बारी से हथकरघा एजेंसियों को आवंटित किया जा सकता है या उन शोरूमों की समग्र बिक्री हथकरघा एजेंसियों को की जा सकती है ।

(v) विपणन कॉम्पलैक्स/शोरूमों के नवीकरण, अनुरक्षण एवं रखरखाव की आवर्ती लागत को कार्यान्वयन एजेंसी/शोरूम के अधिभोगियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा वहन किया जाएगा ।

(vi) हथकरघा एजेंसियों को शोरूम एक बार आवंटित किए जाने के बाद उन्हें बंद किया जा सकता है/विकास आयुक्त, हथकरघा के पूर्व अनुमोदन से विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर और कीमतों पर अन्य एजेंसियों को बेचा जा सकता है ।

(vii) पंजीकरण प्रभार, संपत्ति कर आदि सहित सभी प्रासंगिक प्रभारों का भुगतान उक्त शोरूम के मालिक द्वारा किया जाएगा ।

(viii) विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा इस प्रयोजनार्थ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद कार्यान्वयन एजेंसी को संपत्ति की खरीद हेतु अग्रिम के 50% को जारी करने पर विचार किया जाएगा । भागीदार एजेंसी के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह स्थान की बुकिंग हेतु अग्रिम का भुगतान करें और विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए यथानिर्धारित किस्त में अपने हिस्से का भुगतान करे ।

3.3 प्रचार एवं जागरूकता

हथकरघा क्षेत्र, जो कि संगठित क्षेत्र में कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, के संवर्धन हेतु प्रचार आवश्यक है । हथकरघा भारत की विरासत का एक भाग भी है और उससे बुनकरों की दस्तकारी के जरिए हमारे देश की संमृद्धि और विविधता की जीवंतता प्रदर्शित होती है । हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन और विकास तथा हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं तैयार/कार्यान्वित की गई हैं । प्रचार एवं जागरूकता से बुनकरों तथा हथकरघा उद्योग के हितों का अधिक ठोस रूप में संवर्धन करने और डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा संबंधित मामलों में हुए घटनाक्रमों के क्षेत्र में भीतर और बाहर जागरूकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी ।

इस संघटक के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप किए जाएंगे :

3.4.1 **हथकरघा संबंधी फिल्में** हथकरघा क्षेत्र के बारे में जनता के बीच जागरूकता और समझदारी पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फिल्में, वृत्त चित्र, विडियो क्लिपें, टेली फिल्में आदि बनाई जा सकती हैं । इन फिल्मों/वृत्त चित्रों/टेली फिल्मों/वीडियो फिल्मों को विशेष आयोजनों आदि में हथकरघा एक्सपो/समारोहों में दूरदर्शन पर प्रदर्शित किया जा सकता है । इस कार्यकलाप से हथकरघा के प्रचार और उसे लोकप्रिय बनाने में मदद मिलेगी । इसके अलावा इन घटनाक्रमों के बारे में हथकरघा बुनकरों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए उन्हें प्रदर्शित करने हेतु हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास को रेखांकित करने वाली फिल्में तैयार की जा सकती हैं । फिल्मों की विषयवस्तु, निर्माण के तरीकों तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों को विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा तय किया जाएगा ।

कार्यान्वयन एजेंसी : राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एनएचडीसी)/हथकरघा संगठनों तथा शीर्षस्थ समितियों की एसोसिएशन (आकाश), राज्य सरकारों, राज्य हथकरघा विकास निगमों/राज्य की शीर्षस्थ हथकरघा सहकारी समितियों, बुनकर सेवा केंद्रों से प्रस्ताव किए जा सकते हैं ।

वित्तपोषण की पद्धति : विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा गुणदोष के आधार पर वित्तपोषण की पद्धति को अनुमोदित किया जाएगा ।

3.4.2 **राष्ट्रीय महोत्सव :** राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) की सहायता से विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय महोत्सवों में भागीदारी की जा रही है । यह कार्यकलाप 11वीं योजना में जारी रखा जाएगा । हाल ही में विकसित और पारंपरिक रूप से विख्यात हथकरघा उत्पादों की एक चुनिंदा रेंज को प्रदर्शित करते हुए प्रति वर्ष एक झांकी तैयार की जाएगी ।

कार्यान्वयन एजेंसी : प्रस्ताव एनआईएफटी द्वारा किया जा सकता है ।

वित्तपोषण की पद्धतिः विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा गुणदोष के आधार पर वित्तपोषण की पद्धति को अनुमोदित किया जाएगा ।

3.4.3. **प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक प्रचार :** हथकरघा से संबंधित प्रचार अखबारों तथा पत्रिकाओं आदि में पोस्टरों, पम्फलेटों, पुस्तिकाओं, पुस्तकों, विषय सूचियों के मुद्रण, विज्ञापनों तथा अनन्य कॉलमों/लेखों/संपादकियों/विशेष पूरक अंकों के रूप में किया जा सकता है । विभिन्न हथकरघा योजनाओं से संबंधित सूचना भी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित की जा सकती है । हथकरघा के संवर्धन हेतु इलेकट्रोनिक प्रचार सीडी, इन्टरनेट, वेबसाइटों के विकास के जरिए किया जाएगा ।

कार्यान्वयन एजेंसी : प्रस्ताव एनएचडीसी, आकाश, राज्य हथकरघा विकास निगमों, राज्य की शीर्षस्थ सहकारी समितियों तथा बुनकर सेवा केंद्रों अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा सक्षम पाई गई एवं अनुमोदित किसी अन्य एजेंसी की ओर से किया जा सकता है ।

वित्तपोषण की पद्धतिः पुस्तिकाओं, फोल्डरों, विषय सूचियों, पत्रिकाओं, पुस्तिकाओं, नक्शों आदि के लिए अधिकतम सीमा 3.00 लाख रूपए की होगी । इलेक्ट्रोनिक प्रचार हेतु वित्तपोषण की पद्धति का निर्धारण, विकास आयुक्त,हथकरघा की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा गुणदोष के आधार पर किया जाएगा ।

3.4.4 **सेमिनार एवं कार्यशालाएं:** विभिन्न अवसरों पर हथकरघा प्रौद्योगिकी, डिजाइन विकास, पारंपरिक डिजाइनों आदि की बहाली के बारे में नवीनतम जानकारी पर विचार-विमर्श करने और उसका प्रचार करने के लिए सेमिनारों/कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है ।

कार्यान्वयन एजेंसी: प्रस्ताव एनएचडीसी, आकाश, बुनकर सेवा केंद्रों, राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केंद्र, राष्ट्रीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा संग्रहालय आदि की ओर से किया जा सकता है ।

वित्तपोषण की पद्धतिः सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए टीए/डीए सहित स्थान के किराए/अवसंरचना/प्रचार/प्रासंगिक कार्यकलापों के लिए अधिकतम 5.00 लाख रूपए की होगी और विकास आयुक्त, हथकरघा की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा इन प्रस्तावों पर गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

3.4.5 **राष्ट्रीय पुरस्कार:** हथकरघा बुनकरों के बीच सर्वोत्तम एवं सर्वाधिक योग्य कार्य को मान्यता प्रदान करने के लिए चुनिंदा मास्टर बुनकरों को राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय उत्कृष्टि प्रमाण पत्र प्रदान किए जाते हैं । राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक प्रमाण-पत्र, अंगवस्त्रम, तांबे का स्मृति चिन्ह और 50,000/-रू. का नकद पुरस्कार और राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र तथा 10,000/ रु. का एक पुरस्कार शमिल होता है । इस प्रयोजनार्थ गठित एक समिति बुनकरों का चयन करती है । राष्ट्रीय पुरस्कारों के चयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश **परिषष्ट-VI** में दिए गए हैं ।

कार्यान्वयन एजेंसी तथा वित्तपोषण की पद्धति : यह कार्यकलाप विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय के सहयोग से किया जाएगा जो अपने दस्तकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार एवं उत्कृष्टता प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और अवसंरचना, प्रचार एवं प्रासंगिक व्यय की समान रूप से भागीदारी दोनों कार्यालयों के बीच की जाएगी ।

3.4.6 **मास्टर सृजनशीलता कार्यक्रम:** राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को जनता के समक्ष अपने उत्पादों को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम अर्थात मास्टर सृजनशीलता कार्यक्रम का आयोजन विकास आयुक्त, हथकरघा और विकास आयुक्त (हस्तशिल्पा) के कार्यालयों द्वारा दिल्ली हॉट, नई दिल्ली में प्रति वर्ष संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

कार्यान्वयन एजेंसी : विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बुनकर सेवा केंद्र, दिल्ली होगा ।

वित्तपोषण की पद्धति: एक मास्टर सृजनशीलता कार्यक्रम के लिए स्थान के किराए/अवसंरचना/प्रचार/प्रासंगिक कार्यकलापों हेतु अधिकतम निधि 10.00 लाख रूपए की होगी ।

3.4.7 **समुचित प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी :** _इस कार्यकलाप के अंतर्गत एनएचडीसी, डब्ल्यू एस सी तथा आईआईएचटी जैसी चुनिंदा एजेंसियों द्वारा हथकरघा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय घटनाक्रमों के बारे में प्रदर्शनी-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा । यह कार्यक्रम बुनकरों के लिए लाभकारी होगा, जिससे वे अपनाई जा रही नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और उन्हें प्रदर्शनी के जरिए उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा उत्पादित अपने उत्पादों की बिक्री करने की अनुमति मिलेगी ।

कार्यान्वयन एजेंसी : प्रस्ताव एनएचडीसी, बुनकर सेवा केंद्रों और आईआईएचटी की ओर से किया जा सकता है ।

वित्तपोषण की पद्धति: स्थान के किराए/अवसंरचना/प्रचार/प्रासंगिक कार्यकलापों के लिए उपलब्ध अधिकतम निधि 6.00 लाख रूपए की होगी ।

3.4.8 **क्रेता-विक्रेता प्रति बैठकों सहित क्रेता विक्रेता बैठकें:** क्रेता-विक्रेता प्रति बैठकों सहित क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी के जरिए बाजार प्रवेश किया जाएगा । कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकास आयुक्त (हथकरघा) को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जो गुण-दोष के आधार पर प्रस्ताव तथा निधियों के बारे में निर्णय लेगा ।

कार्यान्वयन एजेंसी : प्रस्ताव एनएचडीसी, आकाश, राज्य सरकारों, राज्य हथकरघा विकास निगमों/राज्य की शीर्षस्थ हथकरघा सहकारी समितियों, बुनकर सेवा केंद्रों आदि की ओर से किया जा सकता है ।

वित्तपोषण की पद्धति: स्थान के किराए/अवसंरचना/प्रचार/टीए/डीए सहित प्रासंगिक कार्यकलापों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता 5.00 लाख रूपए की होगी ।

3.4.9 **विविध संवर्धनात्मक कार्यकलाप/आयोजन:** इसमें पर्यटन, संस्कृति जैसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, विकास आयुक्त, हथकरघा आदि के कार्यालय तथा हथकरघा क्षेत्र का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बनाने में विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा उपयोगी पाए गए मीडिया के किसी अन्य साधन द्वारा अनुमोदित/प्रायोजित बुनकर आदान-प्रदान कार्यक्रमों सहित रोड शो, सीधे प्रदर्शन, स्मृति चिन्ह, फैशन शो, सांस्कृति के आदान-प्रदान कार्यक्रमों जैसे प्रचार एवं संवर्धन के उपाय शामिल होंगे ।

कार्यान्वयन एजेंसी : प्रस्ताव एनएचडीसी, आकाश, राज्य सरकारों, राज्य हथकरघा विकास निगमों/राज्य की शीर्षस्थ हथकरघा सहकारी समितियों, बुनकर सेवा केंद्रों आदि की ओर से किया जा सकता है ।

<u>वित्तपोषण की पद्धति:</u> वित्तपोषण का निर्धारण विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा प्रस्तावों के गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा ।

3.5 <u>भौगोलिक संकेत अधिनियम</u>

भौगोलिक संकेत अधिनियम के अंतर्गत पारंपरिक हथकरघा मदों अर्थात बनारसी ब्रोकेड, बंगाल की जमदानी आदि के संरक्षण के लिए भी उपाय किए जाएंगे । प्रस्ताव है कि 11वीं योजना में 1.50 लाख रूपए प्रति उत्पाद की दर से विभिन्न राज्यों के लगभग 110 पारंपरिक हथकरघा उत्पादों को शामिल किया जाए । भौगोलिक संकेत अधिनियम के अंतर्गत और अधिक हथकरघा उत्पादों को लाए जाने के प्रयास किए जाएंगे । अलग-अलग हथकरघा मद का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अथवा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 1.50 लाख रूपए प्रति मद की लागत या वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, के आधार पर लगभग 1 वर्ष की समय सीमा में किया जाएगा । किसी अतिरिक्त व्यय को राज्य सरकार/एजेंसी द्वारा वहन किया जा सकता है । निधियों को दो किस्तों अर्थात 50% अग्रिम के रूप में और शेष 50% कार्य संपन्न होने के बाद जारी किया जा सकता है ।

3.6 <u>हथकरघा विपणन कॉम्पलैक्स, जनपथ, नई दिल्ली:</u>

शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार ने ऐसे स्थायी विपणन आउटलेटों, जिनसे हथकरघा एजेंसियां अपनी बिक्री बढ़ा सकेंगी और इच्छुक उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त हथकरघा उत्पाद भी उपलब्ध हो सकेंगे, की दृष्टि से हथकरघा एजेंसियों को अवसंचना सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक विश्व स्तरीय हथकरघा विपणन कॉम्पलैक्स के निर्माण हेतु वस्त्र मंत्रालय को जनपथ, नई दिल्ली में 1.779 एकड़ भूमि 25 जून, 2001 को आवंटित की थी । भारत की राजधानी में प्रस्तावित हथकरघा विपणन कॉम्पलैक्स द्वारा प्रतिभासंपन्न बुनकरों द्वारा समूचे देश में उत्पादित हथकरघा उत्पादों की व्यापक किस्म के एक झरोखे के रूप में कार्य किया जाएगा । यह घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार, दोनों में हथकरघा उत्पादों के संवर्धन हेतु एक मंच के रूप में कार्य करेगा । नए भवन में हथकरघा एजेंसियां अवस्थित होंगी और इसमें इच्छुक योग्य भारतीय तथा विदेशी क्रेता खरीददारी के आएंगे । इसमें हथकरघा क्षेत्र में एफडीआई भी आकृष्ट होगा, जिससे देश के लिए राजस्व तथा विदेशी मुद्रा का सृजन होगा । भवन आधुनिकतम कॉम्पलैक्स होगा और उसमें एक ही छत के नीचे समूचे देश के उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

<u>भागीदार/लाभानुभोगी:</u> हथकरघा गृह तथा इस भूखंड में इस समय निर्मित जगह के कब्जाधारी अन्य संगठनों तथा अन्य पात्र एजेंसियों को इस एजेंसियों को भी इस भवन में स्थान दिया जा सकता है ।

<u>कार्यान्वयन एजेंसी :</u> विकास आयुक्त (हथकरघा) का कार्यालय

प्रबंधन एवं रखरखाव : जनपथ स्थित हथकरघा कॉम्पलैक्स का प्रबंधन एवं रखरखाव विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) पद्धति के तहत किया जाएगा ।

3.7 **हथकरघा मार्क :** ब्रांडिंग से उत्पादों के आर्थिक मूल्य का संवर्धन होता है और वह उस केन्द्र बिन्दु को उपलब्ध कराता है जिसके इर्द-गिर्द उत्पाद अवस्थित होते हैं तथा इससे उपभोक्ताओं को आकर्षक लाभ प्राप्त हो सकते हैं । माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 जून, 2006 को शुरू किया गया हथकरघा मार्क हथकरघा उत्पादों के लिए एक मजबूत ब्रांड छवि स्थापित करने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है । हथकरघा मार्क का उद्देश्य हथरकरघा उत्पाद की विद्युतकरघा और मिल निर्मित उत्पाद से अलग पहचान स्थापित करना है । हथकरघा मार्क का उपयोग भारत और विदेश में हथकरघा उत्पादों के ब्रांड निर्माण हेतु किया जाएगा ।

लाभानुभोगी : अलग-अलग बुनकर, मास्टर बुनकर, खुदरा व्यापारी, निगम/सहकारी समितियां तथा निर्यातक ।

कार्यान्वयन एजेंसी :वस्त्र समिति- जो वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सांविधिक निकाय है ।

वित्तीय सहायता: विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ।

भारत तथा विदेशों में अखबारों तथा पत्रिकाओं में विज्ञापनों, विशिष्ट लेखों एवं संपादकीयों, भारत तथा विदेशों में इलेक्ट्रोनिक प्रचार, बाह्य प्रचार, विशिष्टीकृत आयोजनों और प्रदर्शनियों, फैशन शो तथा विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा अनुमोदित किसी अन्य मीडियागत साधनों/कार्यकपालों जैसे प्रचार के व्यापक कार्यकलाप ।

4.0 निगरानी एवं मूल्यांकन:

इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के अंतर्गत किए गए कार्यकलाप इस योजना के उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप हैं और इनका कार्यान्वयन संगत तथा निर्देशों में निर्धारित ढंग से किया जाता है और ये हथकरघा क्षेत्र की समृद्धि और विकास के समग्र हित में हैं, विकास आयुक्त का कार्यालय कार्यान्वयन एजेंसियों से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त कर कार्यान्वयन की निगरानी करेगा । इसके अलावा, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निधियों को जारी करते समय निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार संघटकों के कार्यान्वयन का सत्यापन किया जाएगा ।

हथकरघा निर्यात संवर्धन

5.0. हथकरघा निर्यात संवर्धन के उद्देश्य :

I. योग्य शीर्षस्थ/प्राथमिक हथकरघा समितियों तथा निगमों को डिजाइन विकास हेतु किसी व्यावसायिक डिजायनर को लगाने, कुशलता उन्नयन, व्यावसायिक विपणन परामर्शदाता आदि को लगाने जैसे हस्तक्षेप उपलब्ध करवाकर निर्यात योग्य उत्पादों के विकास में अभिज्ञात कर उन्हें सहायता प्रदान करना ।

II. अंर्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि सहित क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी तथा हथकरघा मार्क एवं अन्य उपायों के जरिए प्रचार एवं ब्रांड विकास के माध्यम से बाजार प्रवेश ।

6.0 हथकरघा विकास संवर्धन के तहत उपसंघटक

i. निर्यात परियोजना ।
ii. अंतर्राष्ट्रीय मेले एवं प्रदर्शनियां ।
iii. डिजाइन स्टूडियोज की स्थापना ।
iv. विविध संवर्धनात्मक आयोजन/कार्यकलाप ।

6.1 निर्यात परियोजनाएं:

निर्यात योग्य उत्पादों का विकास करने और उनके अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सहायता करने के लिए निर्यात परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी ।

6.1.1 किसी निर्यात परियोजना के निम्नलिखित उप-शीर्ष होंगे :

(i) डिजाइन नवीकरण एवं उत्पाद विविधीकरण;
(ii) कुशलता उन्नयन एवं करघों का सुधार;
(iii) नमूना विकास;
(iv) पैकेजिंग प्रशिक्षण;
(v) विपणन परामर्शदाता की नियुक्ति;
(vi) संवर्धनात्मक सामग्री का विकास;तथा
(vii) प्रचार एवं विपणन ।

6.12 निर्यात परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पात्र एजेंसिया:

- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय हथकरघा निगम
- शीर्षस्थ/प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियां

6.1.3 निर्यात परियोजना की संस्तुति करने की पात्र एजेंसियां :

- राज्य हथकरघा एवं वस्त्र प्रभारी निदेशक
- बुनकर सेवा केंद्र

6.1.4 निर्यात परियोजना के लिए वित्तपोषण की पद्धति:

क्र.सं.	उप-शीर्ष	भारत सरकार का हिस्सा (लाख रू. में) 75%	एजेंसी का हिस्सा (लाख रू. में) 25%	कुल (लाख रू. में)
	उत्पाद विकास तथा प्रचार एवं विपणन			
1	डिजाइन नवीकरण एवं उत्पाद विविधीकरण	3.75	1.25	5.00
2	करघों का सुधार तथा कुशलता उन्नयन	1.80	0.60	2.40
3	नमूना विकास	3.00	1.00	4.00
4	पैकेजिंग प्रशिक्षण	0.45	0.15	0.60
5	संवर्धनात्मक सामग्री का विकास	2.25	0.75	3.00
6	विपणन परामर्शदाता की नियुक्ति	2.25	0.75	3.00
7	प्रचार एवं विपणन	7.50	2.50	10.00
	कुल/	21.00	7.00	28.00

6.1.5 निधियों को जारी करना:

(क) किसी निर्यात परियोजना की मंजूरी के बाद उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मद 1 से 4 के लिए अनुमोदित परिव्यय को प्रथम किश्त के रूप में 50% जारी किया जाएगा । शेष राशि को जारी किए जाने पर विचार केवल पूर्व में जारी राशि राशि का उपयुक्तता प्रमाणपत्र जारी करने और विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा प्रगति की समीक्षा करने के बाद ही किया जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त तालिका में मद 5 से 7 के लिए कुल परिव्यय के 25% को कम से कम 25 डिजाइनों का फैब्रिक्स में विकास किए जाने के बाद ही जारी किया जाएगा । परवर्ती

शेष 25% की प्रत्येक राशि को हस्ताक्षरित एमओयू में निर्धारित लक्ष्य से संबंधित कार्य निष्पादन के आधार पर जारी किया जाएगा ।

6.1.6 <u>निर्यात परियोजना के अंतर्गत उप-शीर्षों के ब्यौरे:</u>

(i) **<u>निर्यात परियोजनाओं के लिए एजेंसियों का चयन:</u>** एजेंसियों का चयन उनकी वित्तीय क्षमता, उत्पाद विविधीकरण एवं उत्पाद नवीकरण में संतोषजनक पूर्ववृत्त के साथ-साथ निर्यात योग्य गुणवत्ता युक्त उत्पादों का उत्पादन करने में उनकी क्षमता तथा अस्थायी निर्यात बाजार की बदलती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता पर विशेष जोर देते हुए किया जाएगा । केवल वही एजेंसियां आवेदन करने और स्वीकृत निर्यात परियोजनाओं के लिए पात्र होंगी जिनका पिछले तीन वर्षों में औसत घरेलू बिक्री कारोबार कम से कम 50.00 लाख रूपए का रहा है ।

(ii) **<u>डिजाइनरों का चयन:</u>** विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा निर्यात परियोजना के लिए डिजाइनर की नियुक्ति की जाएगी । डिजाइनर को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), अहमदाबाद अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त फैशन संस्थान जैसे ख्याति प्राप्त संस्थानों से योग्यता हासिल करना जरूरी है और उसके पास वस्त्र क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव, विशेषज्ञता एवं प्रदर्शन क्षमता होनी चाहिए । डिजाइनर के कर्तव्य और जिम्मेवारियां उक्त डिजाइनर तथा निर्यात परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार होंगी । डिजाइनर के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा

(iii) **<u>करघों का सुधार एवं बुनकरों की कुशलता का उन्नयन:</u>**कार्यान्वयन एजेंसियों के बुनकरों के लिए करघों तथा सहायक सामग्रियों की जरूरत का आकलन जरूरत के अनुसार सावधानीपूर्वक किया जाएगा और बुनकरों को उनकी आपूर्ति की जाएगी ताकि न केवल गुणवत्तायुक्त नमूनों के विकास को अपितु हथकरघा उत्पादों की निर्यात योग्य किस्मों के सतत उत्पादन को सुकर बनाया जा सके । बुनकरों को सुधारे हुए करघों तथा सहायक उपकरणों को अपनाने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना जरूरी हो सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के हथकरघा उत्पादों के विकास हेतु अपेक्षित हो सकता है । इसके अलावा, बुनकरों को नई डिजाइनों की बुनाई में प्रशिक्षित करने की जरूरत है । डिजाइनर द्वारा बुनकरों एवं हथकरघा एजेंसी के तकनीक स्टॉफ को ऐसे प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की जाएगी अथवा कोई एजेंसी संबंधित डब्ल्यूएससी की सहायता प्राप्त कर सकती है और ऐसे प्रशिक्षण को प्रदान करने में अंर्तग्रस्त समस्त व्यय परियोजना खाते में दर्ज किया जाएगा ।

(iv) **<u>विपणन परामर्शदाता की नियुक्ति</u>** : निर्यात परियोजना के अतर्गत विकसित उत्पादों के विपणन हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों का मार्गदर्शन करने हेतु निर्यात परियोजनाओं के लिए विपणन परामर्शदाता की नियुक्ति करने का प्रस्ताव है । विपणन परामर्शदाता क्रेता/आयातकों के साथ एजेंसियों का संपर्क स्थापित करवाने और इस परियोजना के अंतर्गत इस प्रकार से विकसित उत्पादों के विपणन में कार्यान्पयन एजेंसी की मदद करने के लिए जिम्मेवार होगा ।

(V) **प्रचार एवं विपणन:** निर्यात परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी भारत और विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेगी । ऐसी भागीदारी हेतु 10.00 लाख रूपए (भारत सरकार का हिस्सा 7.50 लाख रूपए तथा एजेंसी का हिस्सा 2.50 लाख रूपए) की वित्तीय सहायता उपलब्ध रहेगी ।

6.1.7 निगरानी

इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन तथा समीक्षा तंत्र स्थापित किया जाएगा जिसके तहत कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए परवर्ती प्रत्येक तिमाही के प्रथम सप्ताह के भीतर निम्नलिखित ब्यौरे देते हुए एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :

(i) कार्यान्वयन एजेंसी का नाम;

(ii) परियोजना का स्थान;

(iii) उत्पादों की विकसित रेंज;

(iv) डिजायनर का नाम;

(v) आपूर्त डिजाइनों की संख्या तथा तेयार किए गए नमूनों की संख्या और इस प्रकार से विकसित डिजाइनों तथा उत्पादों का विस्तृत वर्णन ;

(vi) सुधारे गए करघे और प्रशिक्षित बुनकर;

(vii) प्रदर्शनियों की संख्या, जिनमें भाग लिया गया है/भाग लिए जाने की संभावना है (स्थान और तारीख सहित);

(viii) गुणवत्ता एवं रूपए/डॉलर के रूप में मूल्य के संबंधं में प्रदर्शनियों में सृजित पूछताछें;

(ix) मूल्य एवं गुणवत्ता के संबंध में निष्पादित किए जा चुके तथा विद्यमान आर्डर (अलग-अलग) ;

(x) निर्यातों (प्रतिशत और मूल्य दोनों के संबंध में)/वर्तमान कारोबार में वृद्धि का स्तर;

(xi) किया गया व्यय;

(xii) उपयोगिता प्रमाणपत्र ।

विकास आयुक्त, हथकरघा के कार्यालय द्वारा प्रत्येक निर्यात परियोजना की प्रगति की भी समय-समय पर निगरानी की जाएगी ।

6.1.8 <u>अ.जा./अ.ज.जा तथा महिला बुनकरों की भागीदारी</u>:

निर्यात परियोजना के कार्यान्वयन के सभी चरणों में अ.जा./अ.ज.जा तथा महिला बुनकरों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

6.2 <u>अंतर्राष्ट्रीय मेले/प्रदर्शनियां</u>

इस उप संघटक के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मेलों/ प्रदर्शनियों/ क्रेता-विक्रेता बैठकों/क्रेता-विक्रेता प्रति बैठकों आदि में भागीदारी हेतु पात्र एजेंसियों का वित्तपोषण किया जाएगा ।

6.2.1 <u>अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में अपने सदस्यों की भागीदारी आयोजित करने के लिए पात्र एजेंसियां :</u>

- हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद
- हथकरघा निगमों एवं शीर्षस्थ समितियों की एसोसिएशन (आकाश)
- भारतीय हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम (एचएचईसी)
- विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा पात्र समझी गई अन्य हथकरघा एजेंसियां ।

6.2.3 <u>अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों के लिए वित्तपोषण की पद्धति</u>

(क) **<u>स्थान का किराया :</u>** स्थान के किराए, स्टॉल की सजावट/निर्माण, प्रशासनिक व्यय सहित रखरखाव आदि के लिए अधिकतम 30.00 लाख रूपए प्रदान किए जाएंगे । प्रशासनिक व्यय 30.00 लाख रूपए के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ख) **<u>प्रचार :</u>** निधियां भारत सरकार एवं आयोजनकर्ता एजेंसीं के बीच 60:40 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएंगी ।

(ग) **<u>भागीदारों को यात्रा अनुदान:</u>** विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रत्येक भागीदार एजेंसी के एक भागीदार को वास्तविक अथवा 50,000 रूपए, जो भी कम हो का यात्रा अनुदान प्रदान किया जाएगा । यात्रा अनुदान का संवितरण आयोजनकर्ता एजेंसी के जरिए किया जाएगा ।

(घ) एचईपीसी, एचएचईसी, आकाश आदि के अधिकारी (अधिकारियों) के लिए केवल विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों के लिए यात्रा, डीए और आवास हेतु 100% अनुदान प्रदान किया जाएगा । ऐसे किसी मेले/प्रदर्शनी, जिसमें 20 से अधिक भागीदार

भाग लेते हैं, उसमें उक्त मेले/प्रदर्शनी के लिए एचईपीसी, एचएचईसी, आकाश आदि के दो अधिकारियों को भेजा जा सकता है ।

(ङ) क्रेता-विक्रेताओं की प्रति बैठक के मामले में भारत में प्रमुख व्यापार मेलों/र्पदर्शनियों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए प्रमुख क्रेता गृहों आदि के प्रख्यात क्रेताओं तथा प्रतिनिधियों के प्रति दौरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी । यह सहायता स्थान की लागत, प्रशासनिक व्यय, स्टॉल साज-सज्जा/रखरखाव, प्रचार, सूची लागत, अनुवाद एवं दुभाषिया प्रभागों तथा विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संघटक के लिए अधिकतम 30.00 लाख रूपए की होगी । विदेशी आगंतुकों के लिए यात्रा अनुदान प्रति भागीदार वास्तविक व्यय अथवा 50,000 रूपए जो भी कम हो, होगा । आवास/भोजन का कोई प्रावधान नहीं होगा ।

6.3 <u>डिजाइन स्टूडियोज की स्थापना</u>

अनेक निर्यातकों के लिए नवीन डिजाइनों, रंग संबंधी पूर्वानुमान आदि के दायरे को बढ़ाने और उनका प्रावधान करने के लिए प्रमुख हथकरघा निर्यात समूहों में डिजाइन स्टूडियोज की स्थापना की जाएगी । डिजाइन स्टूडियो की स्थापना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी)/एचईपीसी कंसर्टियम एवं निर्यातक तथा राज्य सरकार होगी । निगरानी के लिए एचईपीसी नोडल एजेंसी होगी । डिजाइन स्टूडियो की स्थापना हेतु उपलब्ध अधिकतम निधि 1.00 करोड़ रूपए की होगी जिसकी भारत सरकार और कार्यान्वयन एजेंसी के बीच भागीदारी 75:25 के अनुपात में की जाएगी । डिजाइन स्टूडियो की स्थापना एवं निधियों आदि को जारी करने के लिए निबंधन एवं शर्तों को व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद विकास आयुक्त, हथकरघा द्वारा तय किया जाएगा ।

6.4 <u>विविध संवर्धनात्मक आयोजन/कार्यकलाप</u>

विविध संवर्धनात्मक आयोजनों/कार्यकलापों में शो की आधारभूत सामग्री, निर्यात सूची/पुस्तिकाओं/निर्देशिकाओं का प्रकाशन, वेबसाइटों के विकास एवं रखरखाव सहित सीडी रोम, बिक्री काउंटरों की स्थापना हेतु बुनकरों की प्रतिनियुक्ति, भारत एवं विदेशों में अंतर्राष्ट्रय प्रदर्शनियों एवं मेलों के दौरान जीवंत प्रदर्शन/निर्यातों को बढ़ाने के लिए भारत तथा अन्य देशों के बीच सहमत सांस्कृतिक आदान-प्रदान संबंधी कार्यक्रमों में भागीदारी कार्यक्रमों अथवा किसी ऐसे कार्यकलाप/पहल में भागीदारी जिसे सूचना के प्रसार में उपयोगी माना जा सकता है/हथकरधा हेतु विकास आयुक्त द्वारा प्रस्ताव के गुणदोष के आधार पर विचारित निर्यात बाजार का संवर्धन एवं विकास शामिल होगा । प्रस्ताव एचईपीसी, आकाश, एचएचईसी, आईएसईपीसी, निफ्ट या विकास आयुक्त (हथकरघा) द्वारा अनुमोदित किसी अन्य हथकरघा निर्यात संवर्धन एजेंसी की ओर से किए जा सकते हैं ।

विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के दिशा-निर्देश

1. प्रस्तावना:

हथकरघा बुनाई भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संपन्नतम तथा सर्वाधिक प्रगतिशील पहलू है । हथकरघा वस्त्रों में हासिल की गई कारीगरी और कसीदाकारी भी अद्भुत है । इस क्षेत्र से अतिरिक्त रोजगार तथा आर्थिक लाभों के सृजन की संभावना का दोहन करने के लिए अनिवार्य अपेक्षा एवं हथकरघा बुनकरों और रंगरेजों की कुशलता में सतत सुधार करना, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना, मशीनों एवं उपस्करों तथा विनिर्माण प्रक्रियाओं का उन्नयन, बाजार मांग के अनुरूप उत्पादों की डिजाइनों तथा गुणवत्ता का विकास करना और हथकरघा बुनकरों तथा कामगारों को इन पहलुओं से संबंधित सूचना का प्रसार करना हैं ।

2. योजना का उद्देश्य:

विविधीकृत हथकरघा विकास योजना में अनेक कार्यक्रमों के जरिए प्राद्योगिकी उन्नयन का प्रावधान है जिसमें बुनकरों की कुशलता का उन्नयन, डिजाइन विकास तथा बाजार मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद विकास और हथकरघा बुनकरों की उत्पादकता तथा आय में सुधार शामिल है । योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

(i) डिजाइन विकास तथा प्रौद्योगिकी और प्रदर्शनियों तथा सेमिनारों के जरिए बुनकरों को इसके प्रसार में बुनकर सेवा केन्द्रों (डब्ल्यू एस सी) के कार्यकलापों का सुदृढ़ीकरण,

(ii) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) की अवसंरचना में सुधार करना ताकि उन्हें आधुनिक सुविधाओं, उपस्कर तथा उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ निष्पादन मानकों का संवर्धन करने में सक्षम बनाया जा सके ।

(iii) हथकरघा उद्योग की तकनीकी रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए बुनकर सेवा केन्द्र तथा आईआईएचटी की स्थापना करना जिसके द्वारा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें ।

(iv) बुनकर सेवा केन्द्र तथा आईआईएचटी के कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी जरूरतों को पूरा करना ताकि उन्हें तेजी से बदलती हुई प्रौद्योगिकी, उत्पादनों की तकनीकों, बाजार रूझान विश्लेषण, सीएडी प्रणाली के उपयोग से डिजाइन विकास आदि की जानकारी प्रदान की जा सके ।

(v) पारंपरिक एवं सम-सामयिक डिजाइनों के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र के कार्यकलापों का संचालन करना ताकि वस्त्र उद्योग, खासकर हथकरघा क्षेत्र तेजी से बदल रही बाजार मांग को पूरा कर सके ।

(vi) तीसरी हथकरघा संबंधी गणना करना ताकि सही ढंग से इस क्षेत्र के आंकड़ा आधार को अद्यतन किया जा सके और हथकरघा बुनकरों के लाभार्थ अधिक उपयोगी तथा कारगर योजनाएं सुगमता से तैयार की जा सकें ।

(vii) हथकरघा बुनकरों को विभिन्न लाभों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सुनिश्चित करने के लिए बुनकरों तथा मास्टर बुनकरों के अभिज्ञान, पंजीकरण एवं प्रमाणन हेतु एक अभियान चलाए जाने की जरूरत है । हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी किए जाएंगे जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हथकरघा से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लाभ केवल वास्तविक बुनकरों को ही मिलते हैं ।

3. संघटक

योजना में निम्नलिखित संघटक शामिल हैं:-

क्र.सं.	**संघटक**
3.1	बुनकर सेवा केन्द्रों/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों का सुदृढ़ीकरण
3.2	राष्ट्रीय वस्त्र डिजाइन केन्द्र (एनसीटीडी)
3.3	अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी)
3.4	जम्मू-कश्मीर ऊन परियोजना
3.5	बुनकर सेवा केन्द्र (जम्मू और कश्मीर)
3.6	केन्द्रीय क्षेत्र में नए डब्ल्यूएससी/आईआईएचटी की स्थापना
3.7	तीसरी हथकरघा संगणना करना और हथकरघा बुनकरों को पहचान-पत्र जारी करना

स्वास्थ्य बीमा योजना

Sub : Terms & Conditions for Health Insurance Scheme (2010-11 and 2011-12).

During the 11th Plan, the Health Insurance Scheme is a component of the Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme. Under the Health Insurance Scheme, 17.74 lakh weavers/ancillary workers have been covered during 2007-08, 18.78 lakh weavers/ancillary workers have been covered during 2008-09 and more than 16 lakh weavers/ancillary workers in 2009-10.

1. INTRODUCTION :

(i) The Health Insurance Scheme is proposed to be continued for two years of enrollments from 30th November, 2010 to 29th November, 2012 (enrollments beyond 31.03.12 shall be subject to further approval of the scheme during 12th Plan) for enrolling/re-enrolling handloom weavers and other ancillary handloom workers and their families and providing them with an annual health insurance cover for one year at a time from the date of such enrollments. During these two years, it is proposed to cover about 16 lakh handloom weavers and ancillary workers under the scheme in each one year period. (The final number will be confirmed only on finalization of the premium rates).

(ii) Health insurance cover is to be extended to these handloom weavers and other ancillary handloom workers and their families through this scheme where 80% of the premium shall be borne by the Central Government and the balance 20% by the weavers and/or State Governments. Service Tax, as applicable, over the entire 100% annual insurance premium, will be borne by Government of India. The TPA charges (not exceeding 5% of the premium) shall be part and parcel of the premium amount to be quoted.

(iii) Two insurance companies shall be selected and shall enter into a contract with the Development Commissioner (Handlooms) (hereafter referred to as DCHL) for implementation of the scheme in one Zone each, by dividing the States of the Country into two non-overlapping Zones (as per Annexure-'B'). Each insurance company shall be awarded the contract at the lowest rate of premium offered by it (being the L1 bidder) for that Zone.

(iv) Further, where two Insurance Companies are implementing the scheme in the two allotted Zones and if it is found at any time after the signing of the contract or during the implementation of the scheme during the said period of 24 months that either of the selected Insurance Companies has failed to meet the requirements of the contract satisfactorily, then that Insurance Company's

contract shall be liable to be cancelled or modified partly or fully after giving due opportunity.

(v) In such a case, DCHL shall have the right to offer the responsibility for implementing this scheme to the second remaining Insurance Company in the whole or part of the Zone allotted to the defaulting Insurance Company at the same rate of premium at which the defaulting Insurance Company was implementing the scheme.

(vi) With this background, technical and financial bids were invited from all insurance companies dealing with health insurance and licensed by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) for implementation of the Health Insurance Scheme for handloom weavers and other ancillary handloom workers and their families.

(vii) If the selected Insurance Company fails to utilize at least 70% of the total accrued premium received from the Central Government, State Governments and the beneficiaries towards actual pay-outs for claims settlement and TPA charges (the latter not exceeding 5% of the claims settlement) on expiry of all the health insurance coverage for the beneficiaries enrolled/re-enrolled in the second year, then the difference between the actual pay-out for claims settlement and TPA charges on one hand, and 70% of total accrued premium on the other, shall be refunded by the Insurance Company within four months of the expiry of all the health insurance coverages for the enrolled beneficiaries.

The main features of the scheme are as follows:-

OBJECTIVE OF THE SCHEME :

The Health Insurance Scheme aims at financially enabling the weaver community to access the best of healthcare facilities in the country. The scheme is to cover not only the weaver but his wife and two children and to cover all pre-existing diseases with substantial provision for OPD.

The funding pattern would be as follows:

ZONE –I*

Contribution by the Government of India	₹ 769.36 (₹681.60/- plus Service Tax ₹ 87.76/- on the entire amount of premium)
Contribution by the Handloom Weaver/ State Government	₹ 170.40/-
Total Premium plus Service Tax	₹ 852.00/- + 87.76/- = ₹939.76/-

* **Kerala, Karnataka, Puducherry, Tamilnadu, Andhra Pradesh, Orissa, Bihar, Chhatisgarh, Uttar Pradesh, Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan**

ELIGIBILITY OF BENEFICIARIES :

1.1 All Handloom weavers whether male or female, are eligible to be covered under the "Health Insurance Scheme". The scheme will cover the weaver's family of four i.e. self, spouse and upto two unmarried children. The scheme is to cover persons between the age group of 01 day to 80 years. In all, only upto four

members in a family must be covered to avail the benefits under this scheme. In no case, wife/husband of same family or their unmarried children shall be given separate cards and only one card shall be issued for an eligible beneficiary's family covering upto four persons.

1.2 The ancillary handloom workers i.e. those who are engaged in warping, winding, dyeing, printing, finishing, sizing, Jhala making and Jacquard cutting, are also eligible to be covered in the same manner as in para above.

1.3 The handloom weaver/ancillary handloom worker i.e. the beneficiary shall only be from the Census list or from those already enrolled under HIS during the period Oct, 2009 to Oct, 2010, provided they are found to be genuine handloom weavers and genuine ancillary handloom workers during the enumeration process by the Insurance Company.

2. BENEFITS

Eligible benefits and insurance cover shall be as follows for a period of one year at a time from the date of commencement of the insurance cover, extendable for a further period of one more year subject to realization of premium amount and consequential re-enrollment in the second year of the contract period:

(Amount in ₹.)

Annual Limit per family (upto 1+3 members)	15,000/-
Sub Limits per Family:	
All pre-existing Diseases + New Diseases	15,000/-
Maternity Benefits (per child for the first two)	2,500/-
Dental treatment	250/-
Eye treatment	75/-
Spectacles	250/-
Domiciliary Hospitalization	4,000/-
Ayurvedic/ Unani/ Homeopathic/ Siddha	4,000/-
Hospitalization (Pre & Post Hospitalization)	15,000/-
Baby coverage	500/-
OPD	7,500/-
Limit per illness	7,500/-

Exclusions: Corrective cosmetic surgery or treatment, HIV, AIDS, Sterility, Venereal diseases, Intentional self-injury, use of intoxicating drug or alcohol, War, Riot, Strike, Terrorism acts & nuclear risks.

3. OTHER CONDITIONS

3.1 (i) DCHL is implementing various other handloom development Schemes in many clusters in the country. The State-wise list of 692 clusters (317 Clusters in Zone-I and 375 Clusters in Zone-II) is available at the website namely www.handlooms.nic.in. In order to ensure that insurance benefits reach the handloom weavers and other ancillary handloom workers and their families located in these clusters, the successful Insurance Companies are required to have their infrastructure and presence in the form of a Cluster Coordinator to be nominated either through their own offices/representatives or through TPAs (only those TPAs licensed by IRDA) for servicing the beneficiaries in at least

three-fourths of the handloom clusters located within each State in the Zone, within a period of three months from date of signing of contract.

The Insurance Companies shall furnish a list containing the details of names, addresses and contact numbers of the Cluster Coordinators from their own offices/representatives or from that of their IRDA licensed TPAs physically located in the clusters in each Zone. In any case, the successful Insurance Company will have to complete within three months of signing the contract, the establishment of their infrastructure and presence in the form of Cluster Coordinators either through their own offices/representatives or through IRDA licensed TPAs in at least three-fourths of the handloom clusters located within each State in the allotted Zone and to furnish a list to D.C. Handlooms containing the details of names, addresses and contact numbers of the Cluster Coordinators from their own offices/representatives or that of their TPAs physically located in the clusters in the allotted Zone. Any change in the names, addresses, contact number of the Cluster Coordinators should be informed to DCHL's office within 15 days of such change.

(ii) In case there is shortfall in meeting this requirement within three months of signing the contract, then the insurance company shall be required to explain the reasons for the shortfall. If the reasons for the shortfall are not found satisfactory by DC(HL) in respect of any of the uncovered clusters within the target set at three - fourths of the total number of clusters, then the Insurance Company shall be liable through an order, to a penalty at the rate of ₹.500/- per day per cluster which remains uncovered within the said target from the date of such order upto the dates of nomination of Cluster Coordinators for individual clusters. Continued failure beyond six months from the date of signing the contract may result in cancellation/modification of the contract after giving due opportunity. In case of cancellation/modification of the contract, the Insurance Company may further be penalized by DC(HL) with a fine of upto ₹.1 crore.

3.2 (a) Further, within four months from the date of signing the contract for providing health insurance, the successful insurance company shall establish tie-up with hospitals, nursing homes, clinics or dispensaries in 90% of the handloom clusters in each State of his allotted Zone for cashless OPD/IPD facilities. The insurance company shall furnish a compliance report consisting of the list to DCHL before the expiry of the said period of four months indicating the date of commencement of tie up with each such hospital, nursing home, clinic or dispensary together with their names, addresses and contact numbers. Such tie up should be backed by written letters or written agreements which need not be submitted along with compliance report but which can be asked for by DCHL at any time.

(b) In case of failure to cover 90% of the clusters as above within the stipulated period of four months, the insurance company(s) shall be required to explain the reasons for the shortfall. If the reasons for the shortfall are not found satisfactory by DC(HL) in respect of any of the uncovered clusters within the target set of 90% of the total number of clusters, then the Insurance Company shall be liable through an order, to a penalty at the rate of ₹.500/- per day per cluster which remains uncovered within the said target from the date of such order upto the dates of tie up of cashless facility for individual clusters. Continued failure beyond six months from the date of signing of contract may result in cancellation/modification of the contract after giving due opportunity. In case of cancellation/modification of the contract, the Insurance Company may further be penalized by DC(HL) with a fine of upto ₹.1 crore.

4. OPERATIONAL MODALITIES

4.1 The contract with the Insurance Companies will require them to:-

(i) to complete, within three months, the establishment of their infrastructure and presence by nominating Cluster Coordinators either through their own offices/representatives or through TPAs in at least three-fourths of the handloom clusters located in each State within the allotted area of operation and to furnish a list containing the details of names, addresses and contact numbers of their Cluster Coordinators nominated from their own offices/representatives or from their TPAs' and who should be physically located in the clusters in the allotted area of operation;

(ii) To establish, within four months, tie-up with and empanelment of hospitals, nursing homes, clinics or dispensaries in ninety percent of the handloom clusters in each State of his allotted area of operation for cashless OPD/IPD facilities; and

(iii) To commence the process of identification and enumeration of beneficiaries through the State Governments which will be a continuous and on-going process.

Release of Funds

(iv) The 1st installment of 30% of Government of India's share which is 80% of the Total annual premium*, including the entire Service Tax on the corresponding insurance premium of Central Government, beneficiaries and the State Governments, shall be released as advance immediately after signing of the contract. The TPA charges, already included within the premium amount, shall not exceed an upper limit of 5% of amounts paid by way of claims settlement.

[*Total annual premium is defined as lowest rate quoted by L1 bidder for the Zone multiplied by the final target number of beneficiaries to be enrolled in each of the two policy periods during the period November, 2010 to November, 2011.]

(v) The insurance company shall also collect, in full, the balance share of the premium (i.e. 20% of the total annual premium per beneficiary) from the beneficiary and/or of the State Government concerned, as the case may in that State.

Wherever the beneficiary pays his share of premium directly to the Insurance Company, possession of an account with a Bank/Post Office and payment of premium through cheque/postal order/pay order will be mandatory. The clearing charges, commission charges etc. of these will be borne by the beneficiary himself. In all other cases, where the State Government pays the beneficiary's share from its own fund or by collecting it from the beneficiary, this requirement will be optional.

(vi) Enrollment of new beneficiaries and re- (wherever due) [as defined in Para 4.2(i) ahead], corresponding to the total premium amount received by the Insurance Company as mentioned in sub-para (iv & v) above, shall be completed by the Insurance Company preferably within four months of receiving the Government of India share. The health card issued to the beneficiaries at the time of enrollment (after obtaining his acknowledgement) shall indicate the prospective date from which the health cover shall commence

and this card shall be valid for a period of one year only. Subject to continued eligibility of the beneficiary enrolled in the 1st year, payment of his/her share of premium and that by the State Govt. concerned, and upon the expiry of the insurance cover as mentioned on the health card, the insurance cover shall be renewed in the subsequent policy period i.e. November, 2011 onwards.

(vii) The further releases of the Central Government's share of premium, together with the Service Tax on the total premium including State Government/weaver's share, will be made to the Insurance Company directly as advance in installments, for further enrollment and coverage of weavers etc. under the scheme in the first year. However, for release of each such subsequent installment of premium for beneficiaries enrolled under the scheme during the first year of enrollment (including renewals) from 30th November, 2010 to 29th November, 2011, and during the second year of enrollment from 30th November, 2011 to 29th November, 2012, the Insurance Company shall furnish the following documents and records:

(a) It would be desirable, though not compulsory, for the insurance company to obtain a one-time letter from each State Government confirming to pay their part of the premium for both years, if that Government has so decided, to the Insurance Company.

(b) A Utilization Certificate from the Insurance Company, countersigned by the office of the Director/Commissioner of Handlooms of the State Government, indicating the cumulative number of the health cards, corresponding to the cumulative premium released till then as advance (as provided in sub-para (d) ahead) to them by the Central Government, that have been distributed jointly by the Insurance Company and the State Government concerned and have reached the enrolled beneficiaries identified by the State Government. Along with the Utilization Certificate, a cumulative list of all such beneficiaries shall be furnished in the form of a "read only" CD (three such identical sets of CDs) and each CD shall also carry the signature of the authorized signatory of the Insurance Company as well as of the office of the Director/Commissioner of Handlooms of the State Government. This list shall contain the following details: the names and complete addresses of the beneficiaries, the unique number of the health card allotted to them; beneficiaries' Bank/Post Office Savings Account details; date of handing over the cards to the beneficiaries; the prospective date of commencement of insurance cover as printed on the health card, whether it is a case of renewal or a new beneficiary and amount of premium collected from each beneficiary. It shall be solely the responsibility of the Insurance Company to ensure that there are no repetitions or duplications of the beneficiaries in the list. The CD should contain cumulative list of all the duly enrolled beneficiaries (refer to para 4.2 (i) and "Note" there under) to whom health insurance cards have been delivered under acknowledgement and who have been effectively brought under the insurance cover till then, such that the cumulative number of these beneficiaries accounts for the total cumulative premium already paid by Government of India till then as provided in sub-para (d) ahead. These CDs and the data therein shall be the property of the DC(HL) who will have the unfettered right to put the data, or part thereof, in the public domain in any manner whatsoever.

(c) All these State-wise Utilization certificates will be accompanied by a covering letter from the Insurance Company, indicating the amount of premium collected from the beneficiaries and State Govt. towards 20% share of the annual premium, such that it fully corresponds to the 80% share of annual premium released by Govt. of India till then.

(d) On submission of Utilization Certificates and related information as above the next installment of Govt. of India's share of premium advance will be released. The total annual share of Govt. of India will be released in three installments towards enrollments in the first year (i.e. corresponding to the enrollments from November, 2010 to November, 2011), viz. 30%, 40% & 30%. The insurance company will be entitled to submit the Utilization certificate after utilizing 66% of the immediately previous installment released as well as 100% of the earlier installments, as has been done in the previous years. Any unutilized balance of the advance, for which enrollments could not be completed before November, 2011, will be automatically carried forward to the second year. This process will be continued till the last installment of advance premium for the first year is released by DCHL which are then accounted for by the beneficiaries to whom the health cards have been issued upto 29th November, 2011 and insurance cover commenced before that date (not exceeding the target number for each State and each Zone and not exceeding 16 lakh for the country as a whole).

(e) The Insurance Company will finally be required to confirm at the end of each policy period that it has ensured 80% renewal and enrollment of last year's beneficiaries as required by Para 4.9 ahead, subject to beneficiary's share of premium being received. However, in the case of renewal of beneficiaries, the Insurance Company will strive to ensure that the new insurance policy cover and the new health card take effect only from the date on which the previous insurance policy cover under this scheme expires, provided that the beneficiaries' share of premium is received in time.

(f) The Insurance Company will attempt to ensure full enrollment of beneficiaries (new and renewals both), if not done already, corresponding to releases of installments of advance premium within four months of the receipt of the premium installment.

(g) In the second year of enrollments commencing from 30th November, 2011, the unutilized portion of premium released towards enrollments of first year shall be carried forward to the second year. The insurance company shall furnish the utilization certificate containing the list of beneficiaries enrolled in this policy period along with the Statement/details regarding collection of the second year's premium share from each such beneficiary and the State Governments concerned. This list shall be furnished in the form of "read only" CDs and these CDs (three sets) containing the same details as given in Para 4.1 (vii) (b) shall also carry the signature of the authorized signatory of the Insurance Company as well as the signature of the competent authority in the Office of the State Director/Commissioner in Charge of Handlooms.

(h) On receiving the above cited utilization certificates, DCHL will forthwith release next installment of its share of premium, along with Service Tax for the full amount of premium including State/beneficiary's share. However, any minor administrative delay on the part of DCHL in releasing its share of

premium shall not be a reason to deny the insurance cover to the existing beneficiaries if they have paid their share of premium.

(i) It is clarified, however, that the first installment of the premium for the second year of policy period to be released by DCHL will also require, the Utilization Certificate for the last installment of the first policy period's share of premium. The utilization certificate shall be furnished by the Insurance Company within 45 days of the last date of the first policy period's enrollments, so that the release of installments of advance of premium for the second year is not unduly delayed, after adjusting the unutilized amount of the first year's premium amount. Any extension in the time limit will be granted at the sole discretion of DC(HL).

(j) The premium advance of Govt. of India's share will be released in four installments of 30%, 30%, 30% and 10% for the enrollments in the second year. The Insurance Company will be entitled to submit the Utilization certificate after utilizing 66% of the immediately previous installment released as well as 100% of the earlier installments, as has been done in the previous years.

(k) While the Central Government's share of premium would continue to be released by DCHL in the second year in the manner indicated above, the last installment of 10% of the second year's annual premium will be released by DCHL after receiving the corresponding utilization certificates of enrollments and further after the Insurance Company has furnished a certificate by its Company Secretary, counter-signed by Independent Auditors/Chartered Accountants, to the effect that the Insurance Company has actually utilized at least 70% of the total cumulative accrued premium received till then for both the years from DCHL, the State Governments and the beneficiaries towards actual pay-outs for settlement of claims and TPA charges (the latter not exceeding 5% of the claims settlement). However, the Insurance Company shall continue to enroll and provide full health insurance cover to all the beneficiaries upto the targeted number even if DCHL is not able to release this last installment of 10% immediately on account of delay in achievement of 70% utilization benchmark by the Insurance Company.

4.2 The contract shall come into effect from the date of signing of the same by DCHL and the authorized representatives of the Insurance Company concerned, and shall further cover the following periods which may be overlapping:

(i) A period of two years commencing from 30th November, 2010, upto 29th November, 2012, (subject to further approval during the 12th Plan after 31.03.2012) during which beneficiaries will be enrolled by the Insurance Company.

Note: A beneficiary shall be considered as "enrolled" on the day he receives the health insurance card (for which he shall be given a written acknowledgement) and the annual insurance cover shall commence from the prospective date of effectiveness indicated on the health insurance card for an initial period of one year. Thereafter, the beneficiary shall be re-enrolled and insurance cover shall be extended for one more year subject to the beneficiary's and the Central Government's share of premium being

received by the Insurance Company, and subject to the continued eligibility of the beneficiary.

(ii) A period of one year from the date of effectiveness of health card and again from the date of reenrollment, as the case may be, during which the beneficiary shall stand covered under the health insurance cover. Thus a beneficiary who is enrolled in the first year will be entitled for re-enrollment in the second year, subject to his eligibility and payment of premium. However, a beneficiary who is enrolled for the first time in the second year will not be eligible for re-enrollment because the contract period covers only two years of enrollment.

(iii) After availing the treatment during the period of two annual insurance covers, a further period of 60 days from the end date of each policy period during which the beneficiary shall have to submit his claim to the Insurance Company in cases of reimbursement of claims.

(iv) After receiving the claim from the enrolled beneficiaries, a further period of 30 days within which the Insurance Company shall settle the claims of the beneficiaries.

4.3 After appropriately servicing and disposing of all the insurance claims relating to each year of the two year period of enrollment, the Insurance Company shall be required to achieve at the end of each such policy period a Claims Outgo Ratio of 70% of the total premium accrued and paid by the Government of India, the State Governments and the beneficiaries to that Insurance Company. In case of any shortfall, the excess premium (i.e., the difference between the actual payout by the Insurance Company by way of claims settlement including TPA charges not exceeding 5% of claims settlement on one hand, and 70% of the total accrued premium received by the Insurance Company from all sources on the other hand) shall be either refunded to the Government of India by the Insurance Company or adjusted against future releases of premium, if any.

Note : "Claim Outgo Ratio" shall mean that in each policy year the ratio of claim amounts actually paid by way of claims settlement (including TPA charges) to accrued premium is not less than 70% of the premium accrued from all sources after the insurance cover has ended for all the beneficiaries covered that year. Further, the TPA charges shall not exceed an upper limit of 5% of the amounts paid by way of claims settlement. The Claims Outgo Ratio for the purposes of this clause shall not include claims in process and IBNR.

IDENTIFICATION OF BENEFICIARIES

4.4 Correct identification of the beneficiaries shall be the responsibility of the State Governments concerned. However, the Insurance Company shall liaise with the State Governments and complete, sufficiently in advance, all the processes relating to correct and speedy identification of the beneficiaries through the State Governments concerned.

4.5 After the identification of the beneficiaries has been completed, the Insurance Company shall enroll the beneficiaries by issuing to them the health insurance cards immediately on receiving the beneficiary's share and Government of India's share of the premium. The annual health insurance cover for the beneficiaries under this scheme shall begin from the prospective date printed on the health insurance card. Since this is a Scheme under which the State Governments have the option to provide, if they so decide, their share of premium towards the implementation of the scheme, and since the collection of the beneficiaries' share of premium is the responsibility of the Insurance

Company itself, any delay in receiving the State Govt.'s share of premium shall not be a reason for any delay in issuing the health insurance card to the beneficiary and enrolling him/her under the scheme. Only such Insurance Companies need to participate in the bidding process which explicitly agrees to this condition.

The Government of India commits itself to extending all assistance to the Insurance Companies in collecting the States' share of the premium amount. However, the Government of India shall in no way be liable for the delay or failure on the part of any State Government in paying its share of the premium, after the State Govt. has once committed to paying its share of premium.

4.6 The Insurance Company shall not exceed, without prior written approval, the targeted number of enrollment in the Zone allotted to them, as indicated in Annexure 'B'. At the same time, the Insurance Company shall ensure that at least 80% of the target for each of the States in the same Annexure is also achieved without any shortfall. The Insurance Company shall not transfer the unutilized targets of one State to another without prior written approval of DCHL.

4.7 (i) The Insurance Company shall strive to ensure enrollment of the targeted number of beneficiaries by issuing the health insurance cards to them within a period of four months from the date of receiving the first installment of Government of India's share of premium. Similarly, in case of minimum 80% renewal enrollments, both renewal of the targeted number as well as issuance of Health Cards to them shall be ensured sufficiently in advance to ensure continuity of insurance cover to the beneficiaries.

(ii) Further, in case of renewal of beneficiaries, the Insurance Company shall ensure that the new insurance policy and the new health card take effect only after the previous insurance policy under this scheme has expired.

4.8 The Insurance Company shall provide access to the <u>progress of enrollments (State wise) through a real time Web based application</u> for the information of the O/o DCHL and Directors (H&T) in the State Governments. The MIS reports shall be made available on a web based platform to collect, collate and report data in real time. The Insurance Company shall also furnish similar reports on enrollment details such as age wise, gender wise, hospital wise, State wise progress.

4.9 The Insurance Company will be responsible for ensuring that at least 80% of the beneficiaries enrolled during the earlier period of October, 2009 to October, 2010, are again enrolled during the first enrollment year of this contract i.e. from November, 2010 to November, 2011, as far as possible, subject to receiving the premium from Govt. of India and beneficiary/State Government. For this purpose, the Insurance Company will be provided with a soft copy of the list of beneficiaries enrolled during the earlier period of October, 2009 to October, 2010. However, this list should not be used as a substitute to avoid proper identification of beneficiaries. The Insurance Company shall assist the State Government in fresh scrutiny of this list in order to weed out ineligible beneficiaries that might have got included. Further, a suitable system for tracking the 80% renewals shall be devised by the Insurance Company to enable DCHL to verify the same during the implementation of the Scheme and before the release of premium installments from time to time.

<u>COLLECTION OF SHARE OF PREMIUM</u>

4.10 (A) Government of India's contribution towards premium shall be 80% plus Service Tax. The Service Tax as applicable on the total annual insurance premium (i.e. including the share of States and beneficiaries) will be borne by the Government of India. The balance amount of premium shall be paid by the State Government and/or by the beneficiary concerned. It shall be the responsibility of the Insurance Company to collect the premium from the beneficiary and the State Government.

Wherever the beneficiary pays his share of premium directly to the Insurance Company, possession of an account with a Bank/Post Office and payment of premium through cheque/postal order/pay order will be mandatory. The clearing charges, commission charges etc. of these will be borne by the beneficiary himself. In all other cases, where the State Government pays the beneficiary's share from its own fund or by collecting it from the beneficiary, this requirement will be optional.

(B) The responsibility for collection of State Government/weavers' share of premium shall lie with the Insurance Company. A documentary proof of collection of State Government/weavers' share of premium including minimum contribution of ₹.50/- from the beneficiary shall be furnished by the Insurance Company as and when demanded by O/o DCHL.

CASHLESS AND REIMBURSEMENT FACILITY

4.11 (i) The Insurance Company shall pay/reimburse the expenses incurred by the beneficiary and his family in the course of medical treatment availed of in any hospital, nursing home, clinic or dispensary, whether empanelled or not, within the jurisdiction allotted to the Insurance Company, subject to limits and sub-limits prescribed. In case the treatment is taken in a non-empanelled hospital, nursing home, clinic or dispensary, then the beneficiary will submit the prescription and the vouchers for the medicines and medical treatment to the insurance company or the authorized TPA. The Insurance Company shall ensure that all such claims are disposed of within thirty days after receipt of all the requisite documents and information in complete shape, where the period of 30 days will be reckoned in the manner provided in Para 4.20.

(ii) In case of cashless facility availed by the beneficiary, the medical bill for treatment must be signed by the beneficiary as proof of having received the treatment and as a confirmation of the amount charged.

(iii) In case of delay in settlement of valid and bonafide claims (which are complete in all respects) beyond the stipulated period of thirty days, the Insurance Company shall pay interest on pro-rata basis on the claim amount at the rate which is 2% above the bank rates prevalent at the beginning of financial year in which the claim is received by it and as per the Section 8(5) and 9(6) of the IRDA Regulations, 2002 on a pro-rata basis for the number of days of delay.

4.12 A unique serial number shall be given to each such claim received for treatment in non-empanelled institution and a record of all such claims received will be compiled on an all India basis and their status will be made available to the DCHL through a web based application, as far as possible which can be accessed by DCHL as and when required. Any modification will require prior approval of DCHL.

4.13 Similarly, the Insurance Company will also ensure that the beneficiary can access information relating to the settlements of his claims, amount paid so far

by the Insurance Company and balance amount left through a web based application as far as possible using the serial number of his health insurance card as the password. Any modification will require prior approval of DCHL.

4.14 For reimbursement claims received for treatment in non-empanelled institution, the Insurance Company shall prescribe a check list of documents to be furnished by the beneficiary along with the reimbursement claim to ensure the completeness of the documents at the time of submission of the claim. A dated acknowledgement for the receipt of the claim shall be given by the Insurance Company.

4.15 (i) The insurance company, its authorized representatives or its authorized TPAs shall provide cashless insurance claim settlement facility by empanelling hospitals, nursing homes, clinics and dispensaries in various locations within the assigned area of operation of the Insurance Company. This would mean that a beneficiary patient can avail of treatment in any one of the empanelled institutions without actually having to pay the bills within the limits/sub limits of the insurance cover.

(ii) The Insurance Company shall pay/reimburse expenses incurred by the weavers in the course of medical treatment availed of in any hospital/nursing home within the assigned jurisdiction (Zone) of its operation subject to limit/sub-limit.

(iii) However, in the event of treatment in a non-empanelled institution, the insured beneficiary shall be reimbursed directly by the insurance company through a crossed accounts payee cheque with at least 90 days validity in the name of the beneficiary within the prescribed time limit from the date of receipt of claim.

4.16 (a) The Insurance Company and the State Directorate of Handlooms shall be jointly responsible for the timely distribution of Health Cards to the beneficiaries. A dated acknowledgement of receipt of health card shall be obtained from the beneficiary. Proof of delivery of card will have to be furnished by the Insurance Company to DCHL or to the State Government, as and when required.

(b) State Director/Commissioner in charge of Handlooms shall certify the delivery of health cards after due verification which may also be verified by O/o D.C. Handlooms. This would also enable the Insurance Company to submit Utilization Certificates, with the counter signatures of State Directory/Commissioner in charge of Handlooms, to DCHL as required by Clause 4.1.

(c) The list of beneficiaries may be checked randomly by the DCHL or the State Governments through any authorized agency. If any discrepancy or inaccuracy is found during the inspection in the number of weavers reportedly enrolled, and if the Insurance Company is not able to explain this discrepancy inspite of sufficient time being given to the company, then five times the amount of premium shall be refunded by the Insurance Company to the Government or it will be adjusted in the next installment of premium payable to the Insurance Company.

4.17 The annual insurance policy shall be valid for a period of 12 months from the date indicated on the health insurance card.

PUBLICITY AND AWARENESS ABOUT THE SCHEME

4.18 (a) The Insurance Company shall conduct periodic camps in the Clusters for the following purposes in a combined manner:

(i) Redressal of grievances of the beneficiaries, particularly those relating to settlement claims, etc.;
(ii) Awareness creation among the beneficiaries;
(iii) Collecting the claims applications after due scrutiny.

(b) The Insurance Company shall also prepare information relating to this scheme in vernacular languages and distribute the same to beneficiaries in these camps in the Clusters in different States.

(c) The Insurance Company shall furnish the schedule and outcome of such camps periodically to DCHL and to the State Governments as and when required by them or in the manner prescribed from time to time.

(d) The Insurance Company is also advised to undertake periodic publicity for publicizing the benefits under the scheme.

4.19 The Insurance Company shall submit a monthly report about the total number of beneficiary families enrolled ["enrolled" as defined in the note in para 4.2(i)]

4.20 SUBMISSION OF CLAIMS

(i) Submission of claims: Claims can be submitted by the beneficiary within 60 days of completion of treatment through any one of the following methods:

(a) To the Cluster Coordinator of the Insurance Company,
(b) To the representative office of the Insurance Company or TPA (vide Clause 3.1 and 4.1 (i)),
(c) By RPAD or Courier.

(ii) For this purpose:

(a) Cluster Coordinator shall remain available throughout the day on all Mondays at the address furnished by the Insurance Company vide clause 3.1 and 4.1(i). This will enable the beneficiaries to personally handover the claims.

(b) To enable submission by Post (RPAD or courier), the Insurance Company shall print on the reverse of the health insurance card the complete address to which the claims can be sent.

(iii) In case of submission of claims to the Cluster Coordinators or the Insurance Company representative office or TPA, a scrutiny of the claim will be done on the spot with reference to a check list to verify whether the documentation is complete for processing of the claims. Thereafter, a dated acknowledgement will be issued and the Insurance Company shall dispose off the claims on merits within 30 days from the date of acknowledgement.

(iv) In case of receipt of claims by post (RPAD or courier) the Insurance Company shall immediately scrutinize all such claims within the stipulated period. In case of such claims which are inadequately documented or are deficient in any manner, the Insurance Company shall inform the beneficiary within 15 days, about the deficiency in the claim while retaining the original

documents for future reference. The Insurance Company shall issue at least one reminder well before expiry of 30 days from the date of receipt of the deficient claims. The beneficiary should file the complete documents as required by the Insurance Company within 30 days from the date of receipt of the Insurance Company's letter informing him of the deficiency. If the beneficiary does not rectify the deficiency within 30 days, then the Insurance Company shall dispose of all such claims on merits on the basis of records available. On the other hand, if such deficient claims received by post are not responded to by the Insurance Company within 15 days, then they will be deemed to be complete in all respects and such claims will be disposed of on merits within 30 days of receipt.

(v) Whenever the disposal of claims on merits results in rejection of claims either partly or fully, the Insurance Company shall communicate the reasons to the beneficiary in writing.

4.21 (a) (i) The Insurance Company shall receive and process all claims upto 60 days after the closure of the insurance cover.

(ii) The Insurance Company shall be responsible for timely settlement of the claims, distribution of reimbursement cheques to the beneficiaries and maintenance of detailed record thereof.

(iii) Each claim received will be given a unique number and a record of all claims received (district/State wise) will be kept as per the IRDA norms and access be provided to the DCHL whenever required.

(b) The Insurance Company will send the monthly progress report as per the prescribed format by 20th of every month to the Office of the Development Commissioner for Handlooms indicating number of beneficiaries enrolled, financial commitments (consisting of claims paid, claims in process, claims incurred but not reported and TPA charges) number of claims received, settled and pending (below one month and more than one month) with reasons thereof.

MONITORING AND EVALUATION

4.22 The Insurance Company will attend meetings with the State Director In-charge of Handlooms every month to review the implementation of the Health Insurance Scheme and take suitable steps to resolve all issues.

4.23 DC(HL) may get a third party evaluation done by an independent agency to assess the impact and implementation of the scheme, as and when necessary. The Insurance Company shall extend full cooperation and furnish all information and data to such agency.

4.24 The Insurance Company shall provide a "Statement of Treatment" to the beneficiary on demand through their empanelled OPD/IPD centers and through their camps in the clusters furnishing the following information:

(i) Details of cost incurred and charged against the beneficiary's insurance limit for each treatment taken till date as per the cashless transaction including the last claim settled, if any, on reimbursement basis;
(ii) Details of claims rejected;
(iii) Details of claims returned for rectification of defects, and
(iv) Details of claims pending.

4.25 The above information will be given on demand through empanelled cashless OPD/IPD centers within 15 days of treatment and in reimbursement claims within 60 days of the treatment on demand and free of cost.

4.26 In addition, the Insurance Company shall provide the Status of Claims through a web based application, as far as possible, to the State Director (H&T), office of DCHL and to the beneficiaries through its own offices or through the Office of the State Governments and Office of the Development Commissioner for Handlooms.

4.27 Further, the Insurance Company shall also create and provide, as far as possible, a web based MIS to track:

(i) The status of each beneficiary as regard his details and claims and
(ii) To generate a wide combination of statistics for each State and district enabling country-wide monitoring. The MIS format will be finalized by the O/o DCHL in consultation with the Insurance Company.

4.28 The Insurance Company shall furnish to O/o DCHL on demand any relevant information relating to implementation of this scheme. For this purpose, the Insurance Company shall preserve and maintain all the records upto 31.3.2016.

TERMINATION OF CONTRACT

4.29 (i) In case of termination of contract for any reason attributable to the Insurance Company, the Insurance Company shall pay back to the DCHL within thirty days of such termination the unearmarked amount of premium (i.e., difference between total premium received by the Insurance Company on one hand and the number of beneficiaries enrolled till then multiplied by the rate of premium on the other) plus corresponding service tax. This shall be done by the Insurance Company without waiting for any demand letter or instruction from DCHL.

(ii) At the end of all the insurance coverages issued during the period prior to such termination, i.e. when the period of insurance cover for the last enrolled beneficiary is over, if the claims settlement is less than 70% of the total accrued premium remaining with the Insurance Company, then the balance of such premium (i.e., difference between actual amount of claims settlement including TPA charges not exceeding 5% of settlement of claims, and 70% of total accrued premium received and retained by the Insurance Company from all sources) shall be refunded within four months of expiry of insurance cover of the last beneficiary enrolled. This shall be done by the Insurance Company without waiting for any demand letter or instruction from DCHL.

(iii) Failure to refund the amounts as above by the Insurance Company shall result in charging of interest at the rate of 3% per calendar month or part thereof after the respective period of 30 days/four months as stipulated above till the date of repayment of amount.

(iv) In case of termination of contract for any reason attributable to the Insurance Company, the Company shall be further liable to pay a fine upto ₹. One crore to be imposed by DCHL after giving due opportunity, besides being black-listed and debarred from participating in any scheme funded by the Government of India for a period which may extend upto three years.

4.30 The data collected and generated by the Insurance Company during the implementation of the Health Insurance Scheme shall be made available by the Insurance Company to DCHL anytime during or after the contract is over, and

the same shall be the property of DCHL. Any part or whole of this data may be put in public domain at the sole discretion of DCHL.

4.31 Arbitration clause

i) In case of any dispute or differences, such differences shall independently of all other questions be referred to the decision of a Sole Arbitrator to be appointed in writing by the parties to the dispute/difference or if they can not agree upon a single Arbitrator within 30 days of any party invoking arbitration, the same shall be referred to a panel of three Arbitrators comprising of two Arbitrators, one to be appointed by each of the parties to resolve the disputes / difference and the third Arbitrator to be appointed by such two Arbitrators. Arbitrations shall be conducted under and in accordance with the provisions of Arbitrations and Conciliation Act, 1996.

ii) The Courts at New Delhi shall have the jurisdiction for the purposes of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

iii) The Government of India or DC(HL) shall not be responsible for any award of any nature by any competent Court of Law in the country in the matter of disputes between the beneficiary and the implementing Insurance Company. The disputes in such matters may be adjudicated by the competent court at the place where the dispute arises. Any award or compensation granted by a Competent Court shall be borne entirely by the Insurance Company.

GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM

4.32 A Grievance Redressal Committee (GRC) will be formed to receive and consider individual or group complaints from any individual or group of beneficiaries who have any of the following types of grievance against the insurers:

i) Any partial or total repudiation or rejection of claims by the Insurance Company;

ii) Delay in settlement of claims;

iii) Non issuance of or delay in issuance of any insurance document (including health insurance card) to beneficiaries after receipt of premium.

4.33 Constitution of Grievance Redressal Committee (GRC)

i) There shall be a Grievance Redressal Committee in each State (which has a target of 5000 card holders or more as per Annexure III), based at the State capital, which will be set up by the Insurance Company.

ii) The GRC will consist of a representative chosen from the insurance industry/civil services/judicial services (not having any relationship with the Insurance Company) as the Chairman of the Committee. He shall be appointed by the Insurance Company within 3 months of signing the contract and after receiving the concurrence of DC (Handlooms). The second member shall be the representative of the Insurance Company who shall be the Convenor and who shall provide the secretarial and staff support for the GRC. The third representative shall be the State Government's Director of Handlooms or any person authorized on his behalf. The tenure of the Chairman will normally be co-terminus with the contract period of the Insurance Company, though he can resign or be removed earlier also by the Insurance Company after obtaining the consent of DC(HL).The total expenses for office management, the sitting fees of the Chairman and the expenditure on staff engaged for this purpose shall be borne by the Insurance Company.

4.34 Manner of lodging of complaints to GRC

i) The complaints by the aggrieved beneficiary(s) have to be in writing and addressed to the Chairman of the GRC of that State in which the beneficiary resides.

ii) In case of grievances relating to delay in disposal of claims or non reply by the insurance company, the complaints should be filed after 45 days of having filed the claims with the insurance company, but within 4 months of the date of filing such claim(s).

iii) In case of grievances relating to rejection, partial or total repudiation of the claim submitted or the amount of claim allowed, the complaint should be filed within 2 months of receipt of such communication from the insurance company.

4.35 Disposal of complaints

i) The GRC shall meet at least once in each calendar month or more frequently, if required. The venue of the meeting should be preferably in the Office of Director of Handlooms of the State Government. The GRC shall dispose of the complaints and communicate its decision to the Insurance Company within 60 days of the complaint being filed. The decision of the GRC shall be by majority of the 3 members of the GRC. The decision of the GRC will be binding upon the insurance company and will be given effect to by the Insurance Company within 30 days of the date of decision.

ii) If the complainant is not satisfied with the decision of the GRC, then he can approach other forums such as the District Consumer Forum and other Courts of Law or the Insurance Ombudsman appointed by IRDA for redressal of such grievances.

iii) The beneficiaries can also lodge their complaints directly with the IRDA Grievance Call Centre through the Toll Free No.:155255 to register his complaint and track their status or e.mail the complaints to the website of IRDA i.e. complaints@irda.gov.in.

5.1 Premium quoted should be valid for the entire period covered by the contract without any increase.

5.2 (A) If there is balance premium left (i.e., the difference between actual payout and TPA charges on one hand and 70% of accrued premium from all sources on the other) at the end of 2010-11 and 2011-12 policy periods after providing for payments towards claim settlement and TPA charges, then 100% of such balance surplus shall bwe refunded by the Insurance Company to DCHL within four months after the expiry of the insurance policy for the last insured beneficiary or shall be adjusted towards renewal premium. This shall be done by the Insurance Company without waiting for any demand letter or instructions from DCHL.

(B) Failure to refund or to adjust the amount as above shall result in charging of interest at the rate of 3% per calendar month or part thereof after the said period of four months till the date of repayment of amount.

5.3 DCHL may at any time discontinue the scheme by public notice and notice to the insurance company after which no new insurance shall be made but all earlier insurance policies already issued shall be serviced by the Insurance Company during respective period of validity. A final account of Government share of premium and Service Tax shall be taken and cleared between the

parties in the manner provided for in Para 5.2 above. In particular, it may be noted that continuation of this scheme beyond 31.03.2012 is subject to approval of the Scheme during the 12th Five Year Plan.

5.4 The Insurance Company shall also be responsible and liable to provide any information sought by Ministry of Textiles/DC Handlooms or the State Government (In-charge of Handlooms and Textiles) under the RTI Act and for adhering to the prescribed time limits under the said Act and furnish the desired information to the office of the DCHL or the State Governments as and when sought by them.

5.5 Insurance Company shall maintain separate records pertaining to this scheme and make them available for Audit purpose to any authorized Govt. agency or as and when required by Office of DC HL.

(R. N. Choubey)
Development Commissioner (Handlooms)

Encl: Annexure ‘A’ : (Schedule-I)
Annexure ‘B’ : List of Clusters
Annexure ‘C’ : Bid Document of Second Party

‘‘यार्न बैंक योजना’’

राज्य के बुनकरों को नियमित सूत उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से यार्न बैंक की योजना वर्ष 2005 से लागू है। इसमें राज्य के हाथकरघा क्षेत्र की सहकारी समितियो, शीर्ष संघ तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के यार्न बैंक के माध्यम से बुनकरों को उचित मूल्य पर धागा उपलब्ध कराया जाता है। यह धागा राष्ट्रीय हाथकरघा विकास निगम, लखनऊ के एवं पानीपेच परचेज पूल (Purchase Pool) व्यवस्था से क्रय किया जा सकता है।

राज्य में स्थापित यार्न बैंक

1. राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ, जयपुर
2. धनेरू सूती, ऊनी वस्त्र, उत्पादक सहकारी समिति, धनेरू (बीकानेर)
3. आदर्श हाथकरघा सहकारी समिति, झीरी, झालावाड़